BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI
M.A. NO. 88 OF 2024
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 651 OF 2023

IN THE MATTER OF:
Krishna Nand Yadav …Applicant
Versus
State of Uttar Pradesh …Respondent

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Response on behalf of the Respondent no.2, Uttar Pradesh Pollution Control Board	1-4
2.	**ANNEXURE NO. R2/1:** The copy of the Eco-sensitive Zone Notification Dated 08.03.2019	5-37
3.	**ANNEXURE NO. R2/2:** A copy of the inspection reports are collectively being attached herewith	38-45
4.	**ANNEXURE NO. R2/3:** Copies of the said show cause notices are collectively being attached herewith	46-51
5.	**ANNEXURE NO. R2/4:** The copy of the closure compliance report is being annexed herewith	52

THROUGH

DATE: 14.02.2025
PLACE: NEW DELHI

STHAVI ASTHANA
ADVOCATE FOR UPPCB
C1/131 MOTI BAGH, SHANTI PATH,
NEW DELHI-110021

(M): 9711116034
(E): STHAVIASTHANA@GMAIL.COM

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

M.A. NO. 88 OF 2024
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 651 OF 2023

IN THE MATTER OF:

Krishna Nand Yadav **...Applicant**

Versus

State of Uttar Pradesh **...Respondent**

RESPONSE ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.2, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

I, Ajeet Kumar Suman S/o Late Baliram Vimal, aged about 50 years, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter UPPCB), Azamgarh do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That in the abovementioned capacity the deponent is fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present Affidavit.
2. That issue in the present O.A. relates to five brick kilns operating within the radius of one kilometer at Gram Sabha Barasari at Sahodih, which are alleged to be causing pollution and creating health hazards to residents.
3. That vide its order dated 11.01.2024, this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter Hon'ble Tribunal) in Original Application No. 651/2023, Krishna Nand Yadav Versus State of Uttar Pradesh, was pleased to direct the UPPCB to duly considering the grievance of the

applicant by carrying out the spot inspection and to take appropriate action accordance with law within a period of two months and submit its action taken report before this Hon'ble Tribunal.

4. That in compliance with the above direction the UPPCB has filed its action taken report before this Hon'ble Tribunal on 02.05.2024 which was treated by this Hon'ble Tribunal as an M.A. in the present matter. This Hon'ble Tribunal vide its order dated 20.12.2024 passed in the present matter has impleaded the answering respondent as Respondent No.2 and directed to file its reply/response by way an affidavit.

5. That it is pertinent to mention here that the Ministry of Environment, Forest And Climate Change, New Delhi vide its Notification dated 08.03.2019 has notified an area to an extent of one kilometer uniformly around the boundary of Jai Prakash Narayan (Surahatal) Bird Sanctuary,Ballia, Uttar Pradesh as Eco-sensitive Zone (hereafter referred to as the Eco-sensitive Zone). According to said notification at page number 22, it is mentioned that "*the setting up of brick kilns are prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws*". The copy of the Eco-sensitive Zone Notification Dated 08.03.2019 is being attached herewith as **Annexure No.-R2/1**.

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow Regn. 1094/2015 GOVT. OF INDIA

6. That in compliance with the order dated 20.12.2024 passed by this Hon'ble Tribunal in the present matter, the officials of the UPPCB have inspected the brick kilns in question on 03.02.2025. A copy of the inspection reports are collectively being attached herewith as **Annexure No.-R2/2**.

7. That as per the above Inspection Reports, the details of brick kilns which were found in the Eco-sensitive Zone are tabulated below:

S.No.	Name and Address Brick Kiln	Status of Consent to Operate Under Air/Water Act before the Eco-sensitive Zone Notification Dated 08.03.2019	Current Status of Consent to Operate Under Air/Water Act
1.	M/s SK Ent Udyog, Barsari, Bansdeeh, Ballia.	Granted	Valid upto 31.07.2025
2.	M/s SP and Sons Ent Bhatta, Barsari, Sahodeeh, Bansdeeh, Ballia.	Granted	Valid upto 31.07.2025
3.	M/s GM Gramoudhyog, Jajiyapur, Meritand, Ballia.	Granted	Valid upto 31.07.2028
4.	M/s Sarvajeet Ent Bhatta, Barsari, Beruarbari, Sahodeeh, Bansdeeh, Ballia.	Granted	Valid upto 31.07.2025
5.	M/s Vishal Ent Udyog, Sidhauli, Kaithauli, Bansdeeh, Ballia.	Granted	Valid upto 31.07.2026
6.	M/s US Enterprises, Barsari, Bansdeeh, Ballia.	Granted	Not Granted
7.	M/s Ghanshyam Singh Ent Bhatta, Sahodeeh, Bansdeeh, Ballia.	Granted	Not Granted
8.	M/s Kashinath Yadav Ent Bhatta, Bakhauta, Barsari, Bansdeeh, Ballia.	Not Granted	Not Granted

8. That it is also worthwhile to mention here that in pursuance to the Notification, contained as Annexure R2/1, the UPPCB has allowed the brick kilns from S. No. 1 to 5, as mentioned in the above table, which were established/operated prior to the Notification dated 08.03.2019, and against the rest of the brick kilns from S. No. 6 to 8 the UPPCB has issued closure orders under Section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, as amended. The details of the same have been mentioned in the previous report dated 02.05.2024 filed by UPPCB.

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow GOVT. INDIA 14/2/25

Anuman

9. That for the past violations the UPPCB has issued a show cause notices on 14.02.2025 against the brick kiln, as mentioned from S. No. 6 to 8 in the abovementioned table, being Respondent Nos. 11, 12 and 13, regarding imposition of an Environmental Compensation for operation of the brick kiln in question without having valid Consent to Operate. Copies of the said show cause notices are collectively being attached herewith as **Annexure No.-R2/3**.

10. That in pursuance to the inspection dated 03.02.2025 a letter has been written by the UPPCB to Sub Divisional Magistrate, Balia for closure of the brick kiln, M/s Kashinath Yadav Ent Bhatta, on 11.02.2025. Further, the Sub Divisional Magistrate, Balia along with the officials of concerned local department has closed down the operation of the aforesaid brick kiln on 14.02.2025. The copy of the closure compliance report is being annexed herewith as **Annexure No.-R2/4**.

11. That the present response on behalf of the UPPCB is being submitted before this Hon'ble Tribunal for perusal and kind consideration.

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Lucknow on this the 14 day of February, 2025 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow (U.P.) Regd. 10943/15 GOVT. OF INDIA

Sworn and Verified before me.

NOORJAHAN
Advocate & Notary
Civil Court, Lucknow
Registration No. 10943/15

I know & identify the deponent / Executant who has signed / put his T.I. before me.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1172] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 2019/फाल्गुन 20, 1940
No. 1172] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 2019/ PHALGUNA 20, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2019

का.आ. 1315(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ.480 (अ), तारीख 30 जनवरी, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 31 जनवरी, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, जय प्रकाश नारायण (सूरहाताल) पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में जिला मुख्यालय, बलिया से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सूरहा ताल झील पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सबसे बड़ा बाढ़ मैदान झील है। यह गंगा नदी के बाढ़ मैदान में ऑक्स-बॉव झील है, जय प्रकाश नारायण (सूरहाताल) पक्षी अभयारण्य का क्षेत्र 34.329 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है;

और, पक्षी अभयारण्य में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीव जन्तुओं के लिए बहुत अच्छा वास है नेस्टिंग और फिडिंग वास की उपलब्धता के कारण पक्षी अक्सर यहां आते रहते हैं। यह *बोसेलैफस ट्रेगोकैमेलस* (पलास, 1766), नीलगाय या ब्लू बुल; *कैनस यूरियस,* एशियाई जैकल; *लेपस निग्रिकोलिस*, भारतीय खरगोश; *मेलिवोरा कैपेंसिस*, हनी बेजर; *प्राइनायलुरस विवरिनस*, फिशिंग कैट; *हेर्पेस्टिस एडवाड्सी*, ग्रे नेवला या सामान्य नेवला; *वुलपस बंगालेंसिस* बंगाल लोमड़ी; *फ़नामबुलस पेन्नानटी*, फाइव-स्ट्रीप्ड पाम गिलहरी; *हाइरिट्रिक्स इंडिका*, भारतीय क्रास्टेड साही; *हरडेला थरजी,* क्राउनड नदी कछुए; *बेटागुर ढोंगोका*, थ्री-स्ट्रीप्ड रुफ कछुए; *मोरेनिया पेटर्सी*, भारतीय आईड कछुए; *बेटागुर कचुगा*, बंगाल रूफ कछुए या रेड-क्राउनड रुफ कछुए; *पंगशुरा स्मिथी*, ब्राउन रुफ्ड कछुए; *पंगशुरा टेक्टा*, भारतीय रुफ्ड कछुए; *पंगशुरा टेंटोरिया टेंटोरिया*, भारतीय तम्बू कछुए; *पंगशुर टेंटोरिया सरकुमडाटा*, भारतीय तम्बू कछुए; *जिओक्लेमी हैमिल्टोनी*, स्पॉटेड तालाब कछुए; *मेलानोकेलीस त्रिकारिनाटा*, थ्री किल्ड लैंड कछुआ; *मेलानोसीलीस त्रिजुगा त्रिजुगा*, भारतीय काले कछुए; *लिसेमीस पंकटाटा*

पंकटाटा, दक्षिणी भारतीय फ्लैस्सेल कछुए; *लेस्सेमीस पंकटाटा और एंड्रॅसोनी*, दक्षिणी भारतीय फ्लैंसल कछुए; *चित्रा इंडिका*, भारतीय नैरो-हेडेड सॉफ्टशेल कछुए; *निल्सोनिया गैंगेटिका*, इंडियन सोफटेल कछुए; *निल्सोनिया हुरुम*, पीकॉक सॉफ्ट-शेल्ड कछुए; *पायथन मोलूरस*, रॉक पायथन; *नाजा नाजा*, स्पेक्टेक्लेड कोबरा; *वारानस बेंगलेंसिस*, बंगाल मॉनिटर; आदि का वास है। पक्षी अभयारण्य पक्षी प्रजातियों की बृहत् संख्या है जैसे *एंटीगोन एंटीगोन*, सरस क्रेन; *बुबुलकस इबिस*, कैटल एग्रेट; *एग्रेटा गेर्जेटा*, लिटिल एग्रेट; *आर्डिया इंटरमीडिया*, इंटरमीडिएट एग्रेट; *पावो क्रिस्टेटस*, पीफ़ोवल; *आर्डे सिनेरिया*, ग्रे बगुला; *कोल्मबा लीविया*, रॉक कबूतर; ट्रेरोन फोनीकॉप्टेरा येलो-लेग्ड ग्रीन-कबूतर; *एसिडोथेरेर्स फस्कस*, जंगल मैना; *एसिडोथेरेर्स ट्रिस्टिस*, सामान्य मैना; *एसिडोथेरेर्स गिंगिनियमियस*, बैंक मैना; *एसिडोथेरेर्स फेस्कस*, जंगल मैना आदि। अभयारण्य में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को देखा जाता है जैसे *नेट्टा रूफिना*, रेड-क्रेस्टेड पोचार्ड; *एनास्टोमस ऑस्सिटान्स*, एशियन ओपनबिल-स्टोर्क; *कॉकोनिया एपिस्कोपस*, एशियन वूलीनेक; *आर्डे सिनेरिया*, ग्रे बगुला; *अर्दे पूरपुरेया*, बैंगनी बगुला; *आर्डेला ग्रेयी*, भारतीय तालाब बगुला; नाक्टीकोरैक्स नाक्टीकोरैक्स, ब्लैक क्राउन्ड नाइट बगुला आदि;

और, जय प्रकाश नारायण (सूरहाताल) पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाऐं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला बलिया उत्तर प्रदेश राज्य के जय प्रकाश नारायण (सूरहाताल) पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित जय प्रकाश नारायण (सूरहाताल) पक्षी अभयारण्य (25^0 50' 31.08" उ अक्षांश 84^0 10' 30.75" पू देशांतर) की सीमा से 1 किलोमीटर तक विस्तृत किया गया है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 27.00 वर्ग किलोमीटर है।

(2) जय प्रकाश नारायण (सूरहाताल) पक्षी अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** में दिया गया है।

(**3**) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र उसकी सीमाओं के ब्यौरे तथा अक्षांशों एवं देशांतरो के साथ, **उपाबंध-II क, उपाबंध- II ख, उपाबंध- IIग और उपाबंध- IIघ** के रुप में उपाबंध है।

(4) जय प्रकाश नारायण (सूरहाताल) पक्षी अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक **उपाबंध III क और उपाबंध ख** में दिये गये हैं।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले पांच ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में उपाबंध हैं ।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए है के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण,

(ii) वन और वन्यजीव,

(iii) कृषि,

(iv) राजस्व,

(v) नगर विकास,

(vi) पर्यटन,

(vii) ग्रामीण विकास,

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण,

(ix) नगरपालिका,

(x) पंचायती राज, और

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी । इस योजना के मानचित्र के साथ विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं का विवरण अनुसमर्थित होगा ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैराग्राफ-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिकी अनुकूल विकास के लिए जीवकोपार्जन को सुरक्षित करने के लिए सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मॉनीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मॉनीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक है जिसमें पारिस्थितिकी पर्यटन में ग्रह वास सम्मिलित है; और

(v) पैराग्राफ 4 के अंतर्गत दिया गया संवर्धित क्रियाकलाप है:

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.-**आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोत की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन अथवा पारिस्थितिकी पर्यटन.-**(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पक्षी अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और अनुज्ञात नहीं होंगे:

तथापि नए, पक्षी अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिसोर्ट का स्थापन केवल पूर्व परिनिश्चित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर किसी नये होटल या सैरगाह या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.-पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन.-** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) फरवरी, 2016 में जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषण कुटीर उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम, के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अधीन बनाये गये नियम और अन्य लागू विधियां जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टीका-टिप्पणी**
(1)	(2)	(3)
	क.प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग और उद्योगों में विद्यमान प्रदूषण के विस्तार की अनुज्ञा नहीं होगी: फरवरी, 2016 में जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषण कुटीर उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी।
3.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगी।
4.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

ख.विनियमित क्रियाकलाप		
9.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और विश्राम स्थलों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के आगे या उसके विस्तार तक, जो भी निकट हो के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर से सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी। गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।
12.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	फर्मो, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे।
14.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
15.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
16.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल बिछाए जाने को प्रोत्साहित किया जाएगा)।
17.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ विनियमित होंगे।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।

20.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
21.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
22.	वाणिज्यिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित जल निकायों में बहिर्स्राव के अपशिष्ट जल निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन: उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे और अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
24.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
27.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्ध उद्योग, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
28.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	वायु (ध्वनि सहित) और वाहन प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	ग.संवर्धित क्रियाकलाप	
31.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रुप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	वनस्पतिक बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात किया जाएगा।
36.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पर्यावरण अनुकूल परिवहन का प्रयोग	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	कौशल विकास।	
41.	निम्नीकृत भूमि या वन या प्राकृतिक वास का जीर्णोद्धार।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावी मानीटरी पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी प्रभावी के लिए मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:-

क्र.सं.	मानीटरी समिति का संविधान	पद
1.	जिला मजिस्ट्रेट, बलिया	अध्यक्ष;
2.	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बलिया	सदस्य;
3.	राज्य सरकार द्वारा नामित वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
4.	पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता, बलिया	सदस्य;
5.	प्रतिष्ठित संस्था या राज्य के विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
6.	सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता, बलिया	
7.	जिला कृषि अधिकारी, बलिया	सदस्य;
8.	वन्यजीव वार्डन, काशी वन्यजीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी	सदस्य;
9.	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला बलिया	सदस्य;
10.	संभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी विभाग, बलिया	सदस्य सचिव।

6. निर्देश–निबंधन:- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपने क्रियाकलापों की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध V** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/38/2017-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा का विवरण

जय प्रकाश नारायण (सूरहाताल) पक्षी अभयारण्य से, बलिया पारिस्थितिकी संवेदी जोन के एक किलोमीटर अभयारण्य के चारों ओर के आरंभिक बिंदु है-

उत्तर: पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा कथवली ग्राम के उ25°52'21.60" पू84°10' 05640 से आरंभ होती है और उत्तर पूर्व दिशा में जाकर सिद्धौली ग्राम के जीपीएस बिंदु उ 25° 52'2202 पू84°10'4404 पर पहुँचती है और इसके बाद रेखा उत्तर-पूर्व दिशा में जाकर जयीयापुरा ग्राम के जीपीएस बिंदु उ25°51'5658 पू84°11'1152 पर पहुँचती है और पुनः उत्तर-पूर्व दिशा में जाकर मरीतर ग्राम के जीपीएस बिंदु उ 25°51'3474 पू 84°11'4830 पर पहुँचती है।

पूर्व: बिंदु के ऊपर से रेखा सिद्धौली अनकंतपुर ग्राम के जीपीएस बिंदु उ 25°51'0492 पू 84°12'1872 के साथ दक्षिण की ओर जाती है और राजपुर ग्राम के जीपीएस बिंदु उ 25° 50'5388 पू 84°12'3114 पर पहुँचती है और फिर रेखा अवनलनाथ ग्राम की उत्तरी एवं पूर्वी सीमा से होते हुए जीपीएस बिंदु उ 25°50'3972 पू 84°12'3258 की ओर जाती है। इसके बाद रेखा बदरी ग्राम के जीपीएस बिंदु उ 25°50'2340 पू 84°12'5988 के साथ जाती है। इस बिंदु से रेखा नारायणपुर ग्राम की पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा के जीपीएस बिंदु उ25°50'1130 पू84°12'5922 के साथ जाती है।

दक्षिण: बिंदु के ऊपर से सीमा सहोदीह ग्राम के जीपीएस बिंदु उ25°49'5226 पू 84°12'5304 के साथ दक्षिण में जाती है। यह फुलवरिया ग्राम के जीपीएस बिंदु उ25°49'1080 पू 84°12'2718 पर पहुँचती है। इसके बाद सीमा बभानौली, घघरौली, दुमरी, सरायन, सोनपुर कला और सोनपुर खुर्द ग्रामों के जीपीएस बिंदु उ25°48'3288 पू84°12'1656, उ25°48'2826 पू84°11'5742, उ25°48'2706 पू84°11'4710, उ25°48'2430 पू84°11'0954, उ 25°48'1398 पू 84°10'4980, एवं उ 25°48'2094 पू 84°11'0294 उ से होते हुए जाती है। इसके बाद सीमा दुबौली ग्राम के जीपीएस बिंदु उ25°48'2748 पू84°10'3024 के दक्षिण पश्चिम दिशा में जाकर पारसपुर, सलेमपुर, वसदेवपुर, भीमपुर, सरीपुर ग्रामों के जीपीएस बिंदु उ25°48'4410 पू84°10'0876, उ25°48'4200 पू84°10'1434, उ25°48'4806 पू84°09'4566, उ25°48'3270 पू84°09'4182 तक पहुँचती है।

पश्चिम: बिंदु के ऊपर से सीमा ओझावलिया ग्राम के जीपीएस बिंदु उ 25°48'3240 पू 84°08'4872 के दक्षिण पश्चिम दिशा में जाती है और पश्चिम दिशा में जाकर यह बसंतपुर ग्राम के जीपीएस बिंदु उ 25°50'0234 पू 84°07'5586 पर पहुँचती है और इसके बाद यह रेखा पश्चिम उत्तर दिशा में जाकर शिवेपुर ग्राम के जीपीएस बिंदु उ 25°51'1920 पू 84°08'2130 पर पहुँचती है और इसके बाद पुनः पश्चिम-उत्तर दिशा में जाकर सूर्यपुर ग्राम के जीपीएस बिंदु उ 25°51'4806 पू 84°06'0744 पर पहुँचती है। इसके बाद यह रेखा देलहुआ ग्राम के जीपीएस बिंदु उ 25°52'1308 पू 84°09'2190 के साथ जाती है। इसके बाद अंतर्राज्यीय सीमा के साथ जाकर यह आरंभिक बिंदु तक पहुँचती है।

उपाबंध-IIक

जय प्रकाश नारायण (सूरहाताल) पक्षी अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल चित्र

Google Image Map of Protected Area & Eco Sensitive Zone Jai Prakash Narayan (Surhatal) Bird Sanctuary, Ballia, Uttar Pradesh

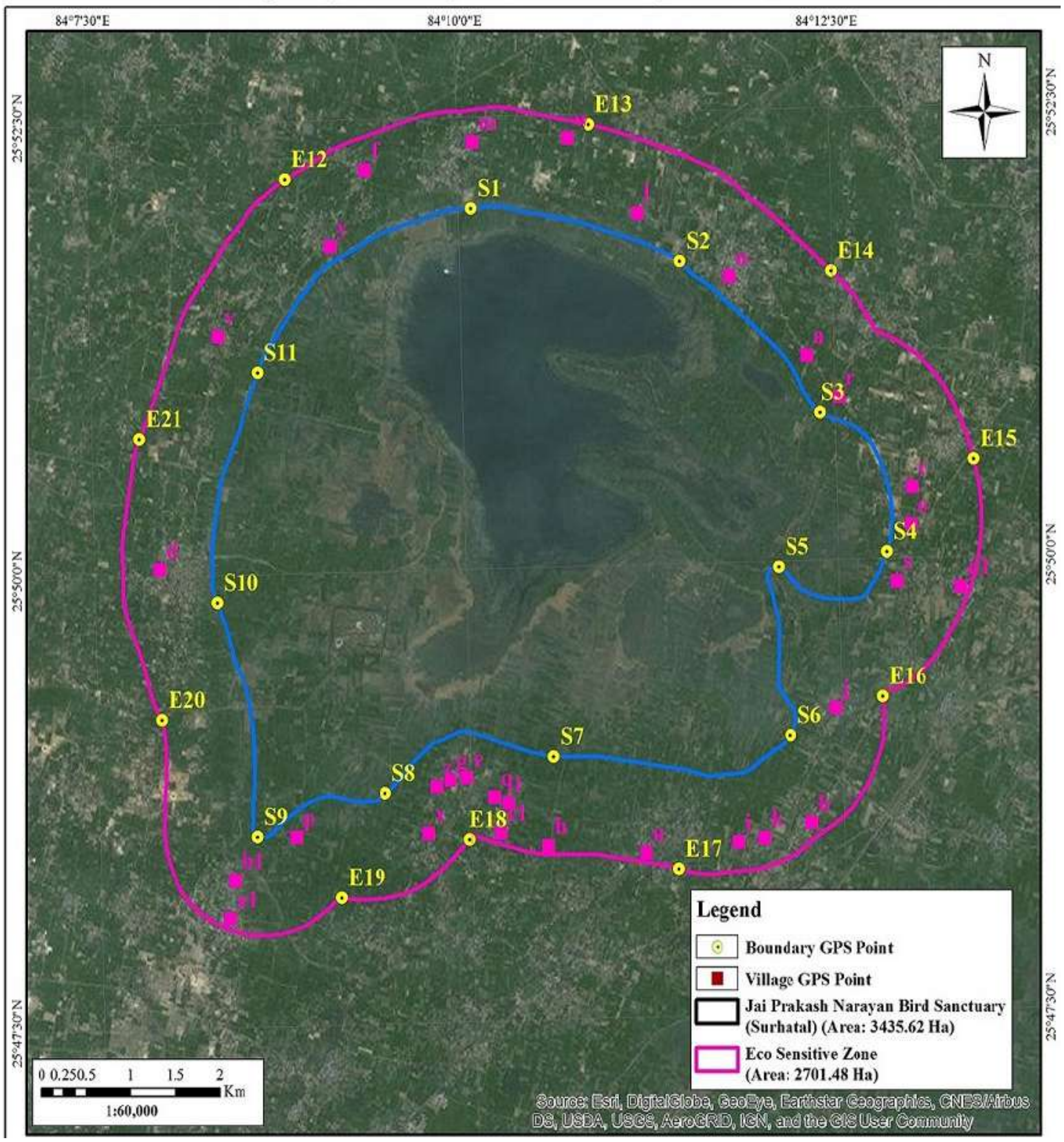

उपाबंध-IIख

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर जय प्रकाश नारायण (सूरहाताल) पक्षी अभयारण्य, बलिया उत्तर प्रदेश के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

उपाबंध- IIग

मुख्य बिंदुओं और भू-निर्देशांकों के साथ जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

Protected Area & Eco Sensitive Zone Map of Jai Prakash Narayan (Surhatal) Bird Sanctuary, Ballia, Uttar Pradesh

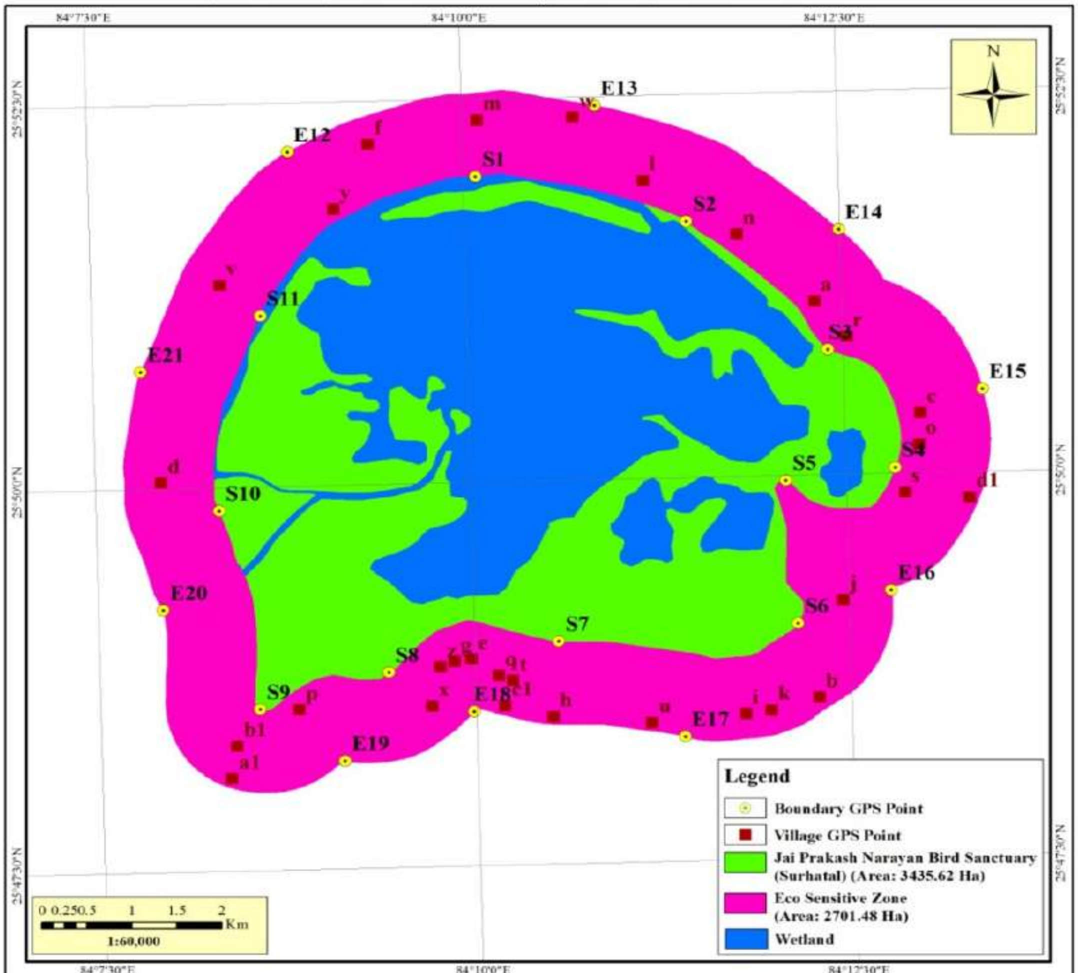

GPS Point Code	Latitude	Longitude	GPS Point Code	Latitude	Longitude	GPS Point Code	Latitude	Longitude	GPS Point Code	Latitude	Longitude
S1	25° 51' 59.589" N	84° 10' 4.598" E	S7	25° 48' 57.066" N	84° 10' 33.107" E	E12	25° 52' 10.8	84° 8' 49.66	E17	25° 48' 18.7	84° 11' 22.596" E
S2	25° 51' 40.396" N	84° 11' 28.327" E	S8	25° 48' 46.350" N	84° 9' 24.942" E	E13	25° 52' 26.4	84° 10' 52.8	E18	25° 48' 30.2	84° 9' 58.533" E
S3	25° 50' 49.047" N	84° 12' 23.646" E	S9	25° 48' 33.002" N	84° 8' 33.181" E	E14	25° 51' 35.9	84° 12' 29.1	E19	25° 48' 12.0	84° 9' 6.579" E
S4	25° 50' 2.175" N	84° 12' 49.223" E	S10	25° 49' 51.016" N	84° 8' 18.892" E	E15	25° 50' 32.2	84° 13' 24.9	E20	25° 49' 12.5	84° 7' 55.474" E
S5	25° 49' 58.023" N	84° 12' 5.460" E	S11	25° 51' 6.926" N	84° 8' 37.232" E	E16	25° 49' 14.2	84° 12' 46.3	E21	25° 50' 45.9	84° 7' 48.859" E
S6	25° 49' 2.094" N	84° 12' 8.891" E									

Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude	Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude	Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude
a	Ankantpur	25° 51' 7.920" N	84° 12' 18.720" E	k	Ghagharauli	25° 48' 28.260" N	84° 11' 57.419" E	u	Samyan	25° 48' 24.300" N	84° 11' 9.539" E
b	Babhanauli	25° 48' 32.879" N	84° 12' 16.560" E	l	Jajiyapur	25° 51' 56.581" N	84° 11' 11.519" E	v	Shivpur	25° 51' 19.199" N	84° 8' 21.300" E
c	Badari	25° 50' 23.399" N	84° 12' 59.879" E	m	Kaithwali	25° 52' 21.601" N	84° 10' 5.639" E	w	Sidhauli	25° 52' 22.019" N	84° 10' 44.040" E
d	Basantpur	25° 50' 2.339" N	84° 7' 55.859" E	n	Maritar	25° 51' 34.740" N	84° 11' 48.300" E	x	Sripur	25° 48' 32.699" N	84° 9' 41.821" E
e	Bhimpur	25° 48' 50.760" N	84° 9' 58.079" E	o	Narayanpur	25° 50' 11.101" N	84° 12' 59.220" E	y	Surypura	25° 51' 48.060" N	84° 9' 7.441" E
f	Delhuaa	25° 52' 13.080" N	84° 9' 21.899" E	p	Ojhawaliya	25° 48' 32.400" N	84° 8' 48.721" E	z	Vasdevpur	25° 48' 48.060" N	84° 9' 45.659" E
g	Dhyinpur	25° 48' 50.040" N	84° 9' 51.239" E	q	Paraspur	25° 48' 44.100" N	84° 10' 8.760" E	a1	Hanumanganj	25° 48' 5.996" N	84° 8' 21.253" E
h	Dubauli	25° 48' 27.479" N	84° 10' 30.241" E	r	Rajpur	25° 50' 53.880" N	84° 12' 31.140" E	b1	Barhmain	25° 48' 18.666" N	84° 8' 23.485" E
i	Dumari	25° 48' 27.061" N	84° 11' 47.101" E	s	Sahodih	25° 49' 52.259" N	84° 12' 53.639" E	c1	Paraspur	25° 48' 32.182" N	84° 10' 11.116" E
j	Fulwaria	25° 49' 10.801" N	84° 12' 27.180" E	t	Salempur	25° 48' 42.001" N	84° 10' 14.340" E	d1	Jainhpath	25° 49' 49.924" N	84° 13' 18.574" E

उपाबंध- IIघ

अक्षांश और देशांतर और भूमि उपयोग पैटर्न के साथ संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

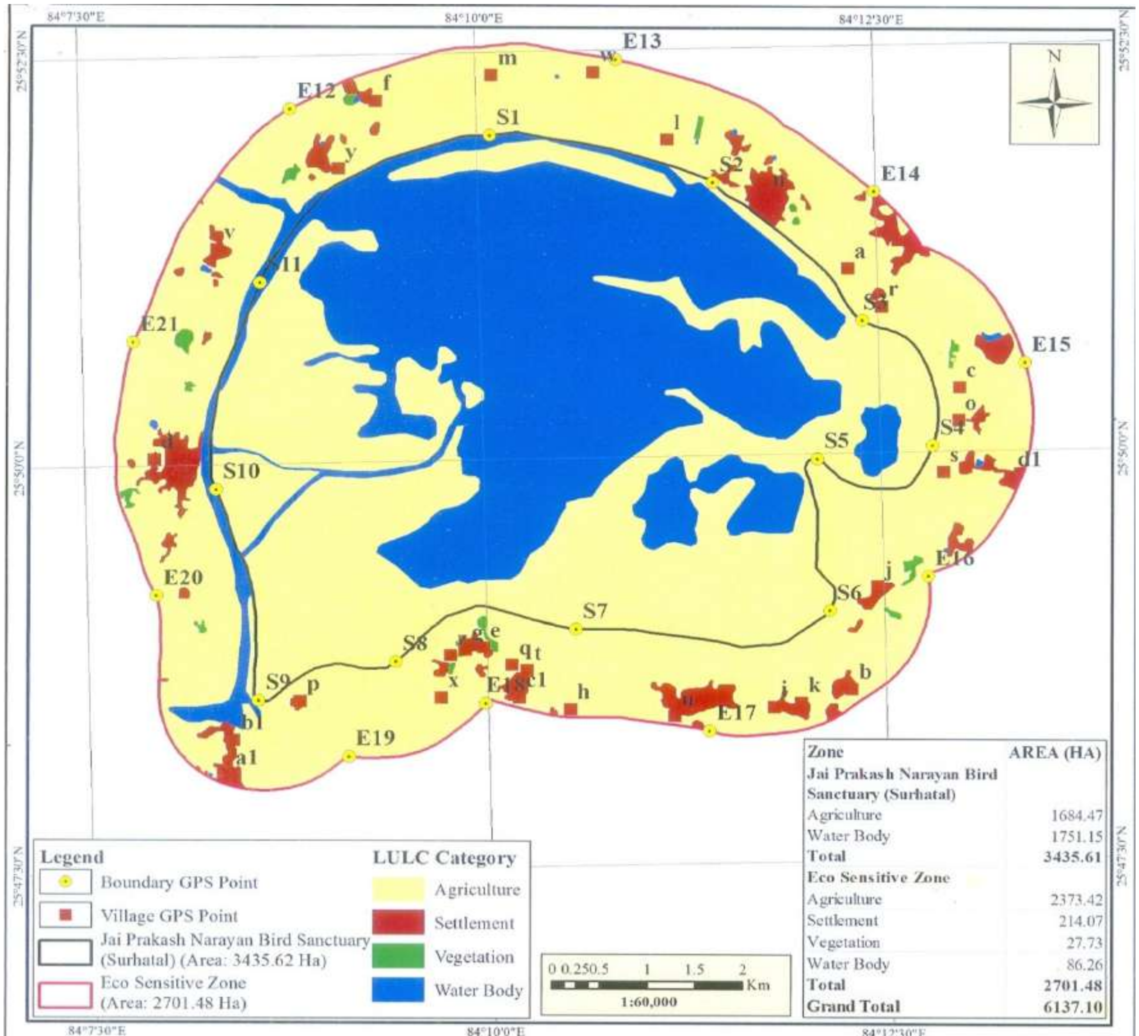

GPS Point Code	Latitude	Longitude	GPS Point Code	Latitude	Longitude	GPS Point Code	Latitude	Longitude	GPS Point Code	Latitude	Longitude
S1	25° 51' 59.589" N	84° 10' 4.598" E	S7	25° 48' 57.066" N	84° 10' 33.107" E	E12	25° 52' 10.8	84° 8' 49.66	E17	25° 48' 18.7	84° 11' 22.596" E
S2	25° 51' 40.396" N	84° 11' 28.327" E	S8	25° 48' 46.350" N	84° 9' 24.942" E	E13	25° 52' 26.4	84° 10' 52.8	E18	25° 48' 30.2	84° 9' 58.533" E
S3	25° 50' 49.047" N	84° 12' 23.646" E	S9	25° 48' 33.002" N	84° 8' 33.181" E	E14	25° 51' 35.9	84° 12' 29.1	E19	25° 48' 12.0	84° 9' 6.579" E
S4	25° 50' 2.175" N	84° 12' 49.223" E	S10	25° 49' 51.016" N	84° 8' 18.892" E	E15	25° 50' 32.2	84° 13' 24.9	E20	25° 49' 12.5	84° 7' 55.474" E
S5	25° 49' 58.023" N	84° 12' 5.460" E	S11	25° 51' 6.926" N	84° 8' 37.232" E	E16	25° 49' 14.2	84° 12' 46.3	E21	25° 50' 45.9	84° 7' 48.859" E
S6	25° 49' 2.094" N	84° 12' 8.891" E									

Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude	Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude	Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude
a	Ankantpur	25° 51' 7.920" N	84° 12' 18.720" E	k	Ghagharauli	25° 48' 28.260" N	84° 11' 57.419" E	u	Samyan	25° 48' 24.300" N	84° 11' 9.539" E
b	Babhanauli	25° 48' 32.879" N	84° 12' 16.560" E	l	Jajiyapur	25° 51' 56.581" N	84° 11' 11.519" E	v	Shivpur	25° 51' 19.199" N	84° 8' 21.300" E
c	Badari	25° 50' 23.399" N	84° 12' 59.879" E	m	Kaithwali	25° 52' 21.601" N	84° 10' 5.639" E	w	Sidhauli	25° 52' 22.019" N	84° 10' 44.040" E
d	Basantpur	25° 50' 2.339" N	84° 7' 55.859" E	n	Maritar	25° 51' 34.740" N	84° 11' 48.300" E	x	Sripur	25° 48' 32.699" N	84° 9' 41.821" E
e	Bhimpur	25° 48' 50.760" N	84° 9' 58.079" E	o	Narayanpur	25° 50' 11.101" N	84° 12' 59.220" E	y	Surypura	25° 51' 48.060" N	84° 9' 7.441" E
f	Delhuaa	25° 52' 13.080" N	84° 9' 21.899" E	p	Ojhawaliya	25° 48' 32.400" N	84° 8' 48.721" E	z	Vasdevpur	25° 48' 48.060" N	84° 9' 45.659" E
g	Dhyinpur	25° 48' 50.040" N	84° 9' 51.239" E	q	Paraspur	25° 48' 44.100" N	84° 10' 8.760" E	a1	Hanumanganj	25° 48' 5.996" N	84° 8' 21.253" E
h	Dubauli	25° 48' 27.479" N	84° 10' 30.241" E	r	Rajpur	25° 50' 53.880" N	84° 12' 31.140" E	b1	Barhmain	25° 48' 18.666" N	84° 8' 23.485" E
i	Dumari	25° 48' 27.061" N	84° 11' 47.101" E	s	Sahodih	25° 49' 52.259" N	84° 12' 53.039" E	c1	Paraspur	25° 48' 32.182" N	84° 10' 11.116" E
j	Fulwaria	25° 49' 10.801" N	84° 12' 27.180" E	t	Salempur	25° 48' 42.001" N	84° 10' 14.340" E	d1	Jainhpath	25° 49' 49.924" N	84° 13' 18.574" E

उपाबंध-III

क : मानचित्र पर दर्शाये गए संरक्षित क्षेत्र की सीमा के साथ मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

जय प्रकाश नारायण (सूरहाताल) पक्षी अभयारण्य के जीपीएस निर्देशांक		
जीपीएस बिंदु कोड	**अक्षांश**	**देशांतर**
एस1	25°51'59.589" उ	84°10'5.598" पू
एस2	25°51'40.396" उ	84°11'28.327" पू
एस3	25°50'49.047" उ	84°12'23.646" पू
एस4	25°50'2.175" उ	84°12'49.223" पू
एस5	25°49'58.023" उ	84°12'5.460" पू
एस6	25°49'2.094" उ	84°12'8.891" पू
एस7	25°4857.066" उ	84°10'33.107" पू
एस8	25°48'46.350" उ	84°9'24.942" पू
एस9	25°48'33.002" उ	84°8'33.181" पू
एस10	25°49'51.016" उ	84°8'18.892" पू
एस11	25°51'6.926" उ	84°8'37.232" पू

ख : मानचित्र पर दर्शाये गए संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के साथ मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के जीपीएस निर्देशांक		
जीपीएस बिंदु कोड	**अक्षांश**	**देशांतर**
ई12	25°52'10.825" उ	84°8'49.668" पू
ई13	25°52'26.457" उ	84°10'52.806" पू
ई14	25°51'35.902" उ	84°12'29.113" पू
ई15	25°50'32.274" उ	84°13'24.917" पू
ई16	25°49'14.272" उ	84°12'46.370" पू
ई17	25°48'18.767" उ	84°11'22.596" पू
ई18	25°48'30.299" उ	84°9'58.533" पू
ई19	25°48'12.062" उ	84°9'6.579" पू
ई20	25°49'12.521" उ	84°7'55.474" पू
ई21	25°50'45.905" उ	84°7'48.859" पू

उपाबंध IV

भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

ग्राम जीपीएस कोड	ग्राम के नाम	अक्षांश	देशांतर
क.	अनकंतपुर	25° 51' 7.920" उ	84° 12' 18.720" पू
ख.	बभनौली	25° 48' 32.879" उ	84° 12' 16.560" पू
ग.	बदरी	25° 50' 23.399" उ	84° 12' 59.879" पू
घ.	बसंतपुर	25°50' 2.339" उ	84° 7' 55.859" पू
ड.	भीमपुर	25° 48' 50.760" उ	84° 9' 58.079" पू
च.	देलहुआ	25° 52' 13.080" उ	84° 9' 21.899" पू
छ.	धीनपुर	25° 48' 50.040" उ	84° 9' 51.239" पू
ज.	दुबौली	25° 48' 27.479" उ	84° 10' 30.241" पू
झ.	दुमरी	25° 48' 27.061" उ	84° 11' 47.101" पू
ञ.	फुलवरिया	25° 49' 10.801" उ	84° 12' 27.180" पू
ट.	घघरौली	25° 48' 28.260" उ	84° 11' 57.419" पू
ठ.	जजीयापुर	25° 51' 56.581" उ	84° 11' 11.519" पू
ड.	कैथवली	25° 52' 21.601" उ	84° 10' 5.639" पू
ढ.	मरीतर	25° 51' 34.740" उ	84° 11' 48.300" पू
ण.	नारायणपुर	25° 50' 11.101" उ	84° 12' 59.220" पू
त.	ओझवलिया	25° 48' 32.400" उ	84° 8' 48.721" पू
थ.	पारसपुर	25° 48' 44.100" उ	84° 10' 8.760" पू
द.	राजपुर	25° 50' 53.880" उ	84° 12' 31.140" पू
ध.	सहोदीह	25° 49' 52.259" उ	84° 12' 53.039" पू
न.	सलेमपुर	25° 48' 42.001" उ	84° 10' 14.340" पू
प.	सारायन	25° 48' 24.300" उ	84° 11' 9.539" पू
फ.	शिवपुर	25° 51' 19.199" उ	84° 8' 21.300" पू
ब.	सिधौली	25° 52' 22.019" उ	84° 10' 44.040" पू
भ.	सरीपुर	25° 48' 32.699" उ	84° 9' 41.821" पू
म.	सुर्यपुरा	25° 51' 48.060" उ	84° 9' 7.441" पू
य.	वासदेवपुर	25° 48' 48.060" उ	84° 9' 45.659" पू
क1	हनुमानगंज	25° 48' 5.996" उ	84° 8' 21.253" पू
ख1	बरहमाइन	25° 48' 18.666" उ	84° 8' 23.485" पू
ग1	पारसपुर	25° 48' 32.182" उ	84° 10' 11.116" पू
घ1	जैनपथ	25° 49' 49.924" उ	84° 13' 18.574" पू

उपाबंध V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत: कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अनुसार। ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2019

S.O. 1315(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 480(E),dated the 30thJanuary, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 31st January, 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS,Jai Prakash Narayan (Surahatal) Bird Sanctuary is located about 10 kilometres from the district headquarter Ballia in the State of Uttar Pradesh. Suraha Tal Lake is the largest floodplain lake in Ballia District of Eastern Uttar Pradesh and it is an ox-bow lake in the floodplain of river the Ganga. The Jai Prakash Narayan (Surahatal) Bird Sanctuary is spread over an area of 34.329 square kilometres;

AND WHEREAS,the Bird Sanctuary offers good habitat for a variety of flora and fauna. Various species of birds are known to arrive here frequently due to the availability of nesting and feeding habitats. It is also the habitats of*Boselaphus tragocamelus* (Pallas, 1766)*,* nilgai or blue bull; *Canis aureus*, Asiatic jackal; *Lepus nigricollis*, Indian hare; *Mellivora capensis,*honey badger; *Prionailurus viverrinus*, fishing cat; *Herpestes edwardsii*, grey mongoose or common mongoose; *Vulpes bengalensis* bengal fox; *Funambulus pennantii*, five-striped palm squirrel; *Hystrix indica*, Indian crested porcupine; *Hardella thurjii*, crowned river turtle; *Batagur dhongoka*, three-striped roofed turtle; *Morenia petersi*, Indian eyed turtle; *Batagur kachuga*, bengal roof turtle or red-crowned roofed turtle; *Pangshura smithii*, brown roofed turtle; *Pangshura tecta*, Indian roofed turtle; *Pangshura tentoria tentoria*, Indian tent turtle; *Pangshura tentoria circumdata*, Indian tent turtle; *Geoclemys hamiltonii*, spotted pond turtle; *Melanochelys tricarinata*, three keeled land tortoise; *Melanochelys trijuga trijuga*, Indian black turtle; *Lissemys punctata punctata*, southern Indian flapshell turtle; *Lissemys punctataandersonii*, southern Indian flapshell turtle; *Chitra indica*, Indian narrow-headed softshell turtle; *Nilssonia gangetica*, Indian softshell Turtle; *Nilssonia hurum*, peacock soft-shelled turtle; *Python molurus*, rock python; *Naja naja*, spectacled cobra; *Varanus bengalensis*, bengal monitor; etc.The Bird

Sanctuary is also rich in large number bird species such as *Antigone antigone*, sarus crane; *Bubulcus ibis*, cattle egret; *Egretta garzetta*, little egret; *Ardea intermedia*, intermediate egret; *Pavo cristatus*, peafowl; *Ardea cinerea*, grey heron; *Columba livia*, rock pigeon; *Treron phoenicoptera* yellow-legged green-pigeon; *Acridotheres fuscus*, jungle myna; *Acridotheres tristis*, common myna; *Acridotheres ginginianus*, bank myna; *Acridotheres fuscus*, jungle myna etc.The Sanctuary is also visited by large number of migratory species of birds such as *Netta rufina*, red-crested pochard; *Anastomus oscitans*, asian openbill-stork; *Ciconia episcopus*, Asian woollyneck; *Ardea cinerea,* grey heron; *Ardea purpurea*, purple heron; *Ardeola grayii,*Indian pond heron; *Nycticorax nycticorax*, black-crowned night heron, etc.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Jai Prakash Narayan (Surahatal) Bird Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of one kilometre uniform around the boundary of Jai Prakash Narayan (Surahatal) Bird Sanctuary, in Ballia district of Uttar Pradesh as Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of one kilometreuniform around the boundary of Jai Prakash Narayan (Surahatal) Bird Sanctuary (25^0 50' 31.08" N Latitude 84^0 10' 30.75" E Longitude) situated in the Ballia district of Uttar Pradesh. The area of the Eco-sensitive Zone is 27.00 square kilometres.

   (2) The boundary description of Jai Prakash Narayan (Surahatal) Bird Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-I.**

   (3) The maps of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC** and **Annexure-IID.**

   (4) The geo-coordinates of Jai PrakashNaryayan (Surhatal) Bird Sanctuary and its Eco-sensitive zone are given in **Annexure III-A** and **Annexure III-B.**

   (5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.

   (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

   (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

   (i) Environment,

   (ii) Forest and Wildlife,

   (iii) Agriculture,

   (iv) Revenue,

   (v) Urban Development,

   (vi) Tourism,

   (vii) Rural Development,

   (viii) Irrigation and Flood Control,

   (ix) Municipal,

(x) Panchayati Raj, and

(xi) Public Works Department,

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) untill the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. -Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.-Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India

in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) The Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) Construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
4.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
	B. Regulated Activities	
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents.

		Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
14.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Open well, bore well etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws; the activity shall be monitored by the concerned authority.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
17.	Use of polythene bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco sensitive Zone: Provided that based on specific requirement, it shall be regulated as per the applicable laws.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
24.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air	Regulated as per the applicable laws.

	balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	
26.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
28.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Air (including noise) and vehicular pollution.	Regulated under the applicable laws.
	C. Promoted Activities	
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Vegetative fencing.	Permitted under the applicable laws.
36.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
37.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
39.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
40.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
41.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
42.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S N	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	District Magistrate, Ballia	Chairman, ex officio
2.	Superintendent of Police/ Senior Superintendent of Police, Ballia	Member;
3.	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
4.	Executive Engineer of PWD, Ballia	Member;
5.	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State	Member;
6.	Executive Engineer of Irrigation Department, Ballia	Member;
7.	District Agriculture Officer, Ballia	Member;

8.	Wildlife Warden, Kashi Wildlife Divison, Ramnagar, Varanasi	Member;
9.	Regional Officer, Uttar Pradesh State Pollution Control Board, District Ballia	Member;
10.	Divisional Director, Social Forestry Division, Ballia	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7.The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/38/2017-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE PROTECTED AREA AND ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

For Jai Prakash Narayan (Surhatal) Bird Sanctuary, Ballia Eco-sensitive Zone of 1 kilometreuniform has been proposed all around the sanctuary the starting point-

North: The Boundary of eco-sensitive zone starts at N 25°52′21.60" E 84°10′05640 on Kathwali village and runs on north-east direction till it reaches the village Sidhauli at the Global Positioning System (GPS) point N 25º52′2202 E 84°10′4404 and further the line runs on north-east direction till it reaches the village Jayiyapura at the GPS point N 25º51′5658 E 84º11′1152 and further continues runs on north-east direction till it reaches the village Maritar at the GPS point N 25º51′3474 E 84º11′4830.

East: From the above point the lines runs southwards along the village SidhauliAnkantpur at the GPS point N 25º51′0492 E 84º12′1872 till it reaches the point of the village Rajpur at the GPS point N 25º50′5388 E 84º12′3114 and further the lines runs on northernand eastern boundary of Awanlnath village through the GPS point N 25º50′3972 E 84°12′3258. Then lines runs along with village Badari at the GPS point N 25º50′2340 E 84°12′5988. From this point the lines runs along the easternand southern boundary of the village Narayanpur at the GPS point N 25º50′1130 E 84º12′5922.

South: From the above point the boundary runs south along the village Sahodihat the GPS point N 25º49′5226 E 84º12′5304 till it reaches the point of the village Fulwaria at the GPS point N 25º49′1080 E 84º12′2718. Further boundary runs through the villages Babhanauli, Ghagharauli, Dumari, Sarayan, Sonpur Kala andSonpurKhurd the GPS point N 25º48′3288 E 84º12′1656, N 25º48′2826 E 84º11′5742, N 25º48′2706 E 84º11′4710, N 25º48′2430 E 84º11′0954, N 25º48′1398 E 84º10′4980, and N 25º48′2094 E 84º11′0294. Then further boundary runs Southwest direction of the village Dubauli at the GPS point N 25º48′2748 E 84º10′3024 till it reaches the point of the village Paraspur, Salempur, Vasdevpur, Bhimpur, Sripur respective the GPS point N 25º48′4410 E 84º10′0876, N 25º48′4200 E 84º10′1434, N 25º48′4806 E 84º09′4566, N 25º48′3270 E 84º09′4182.

West: From the above point the boundary runs South-west direction at village Ojhawaliya at the GPS point N 25º48′3240 E 84º08′4872 and runs on West direction till it reaches the village Basantpur at the GPS point N 25º50′0234 E 84º07′5586 and further the line runs on West-North direction till it reaches the village Shivepur at the GPS point N 25º51′1920 E 84º08′2130 and further continues runs on West-North direction till it reaches the village Surypura at the GPS point N 25º51′4806 E 84º06′0744. Then lines run along with village Delhuaa at the GPS point N 25º52′1308 E 84º09′2190. Then, runs all along the interstate boundary till it reaches the starting point.

ANNEXURE-IIA

GOOGLE IMAGE OF JAI PRAKASH NARAYAN (SURHATAL) BIRD SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE

Google Image Map of Protected Area & Eco Sensitive Zone Jai Prakash Narayan (Surhatal) Bird Sanctuary, Ballia, Uttar Pradesh

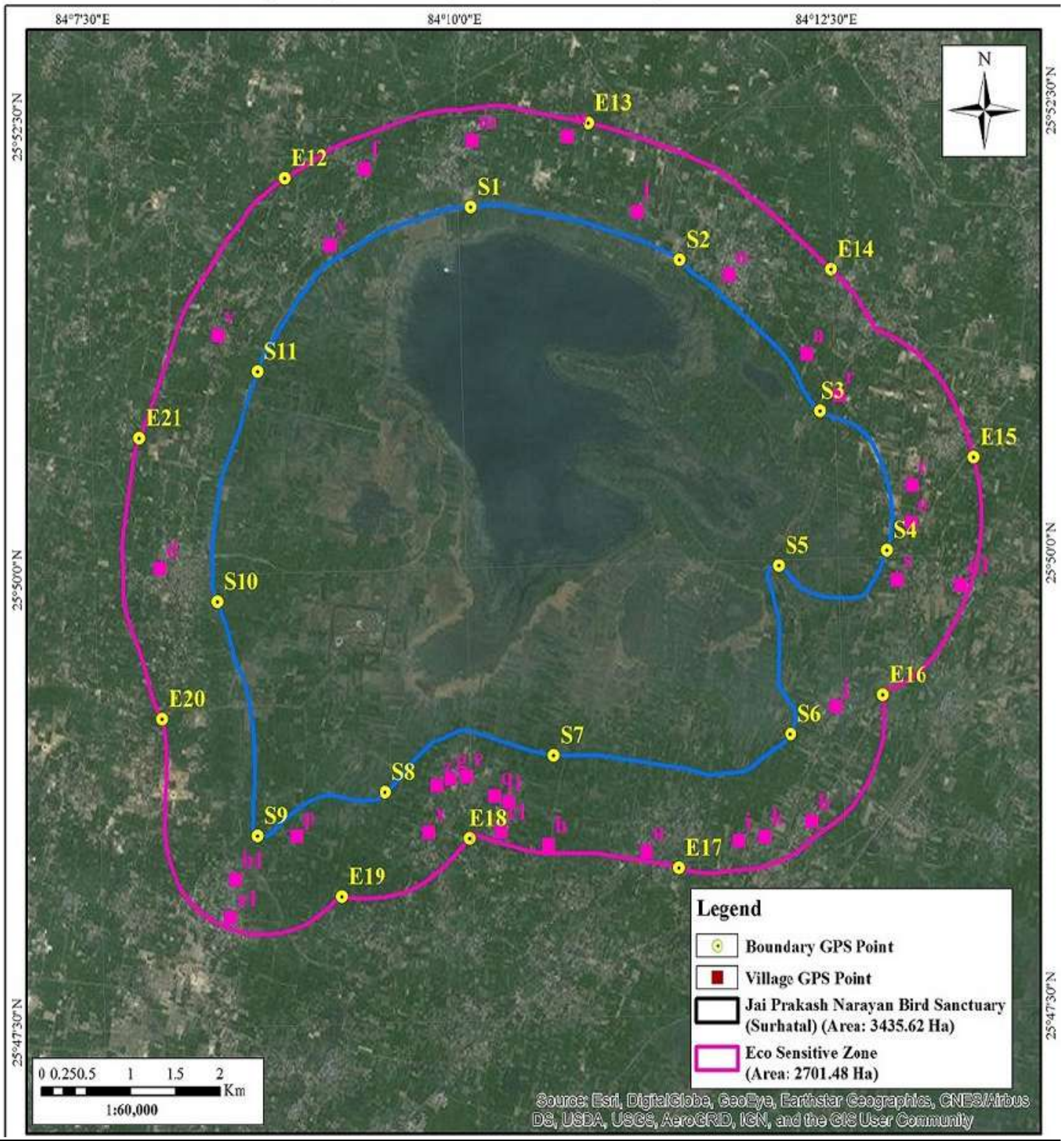

ANNEXURE-IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE JAI PRAKASH NARAYAN (SURHATAL) BIRD SANCTUARY, BALLIA UTTAR PRADESH ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

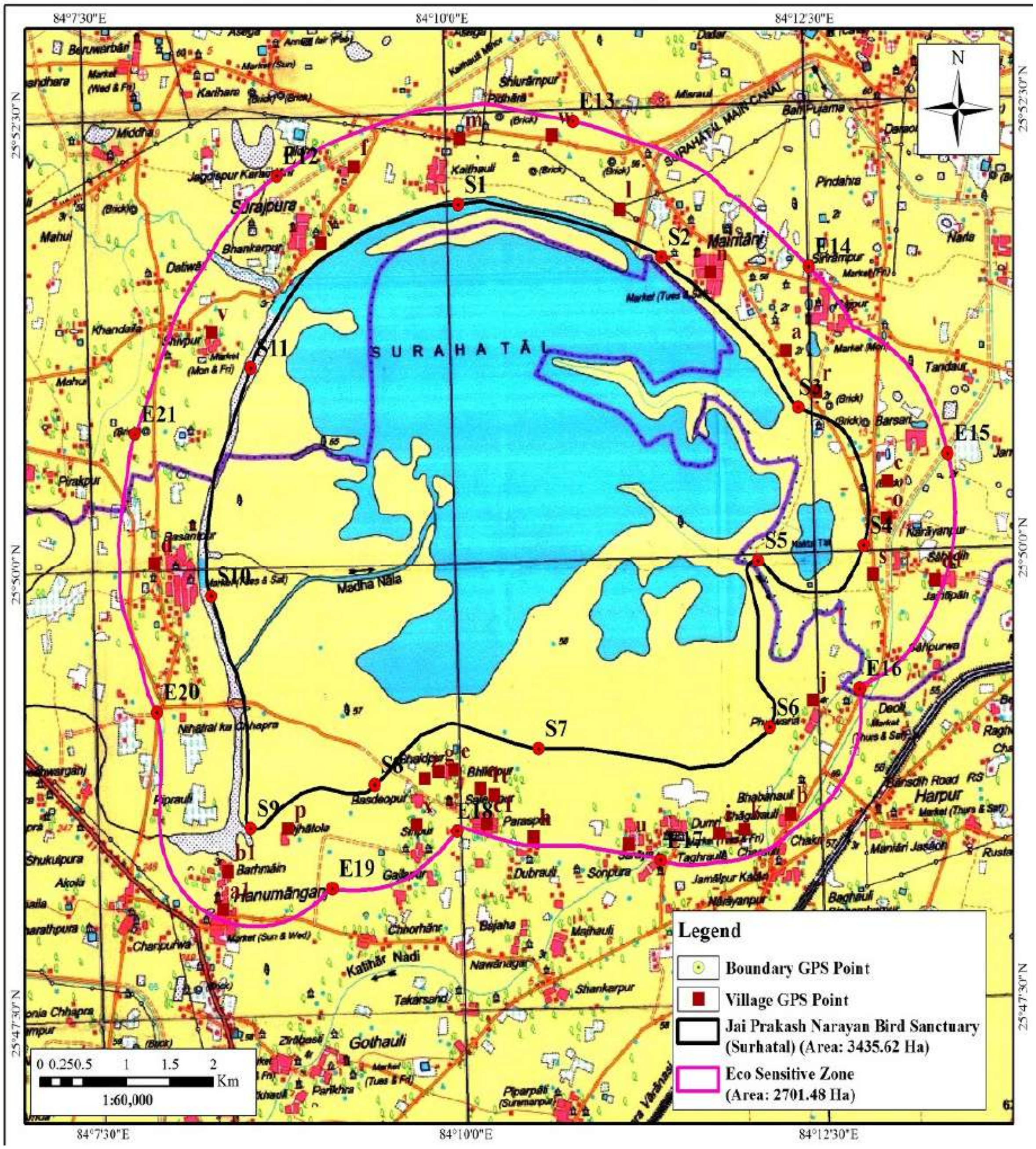

ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF JAI PRAKASH NARAYAN BIRD SANCTUARY ALONG WITH PROMINENT POINTS AND GEO-COORDINATES

Protected Area & Eco Sensitive Zone Map of Jai Prakash Narayan (Surhatal) Bird Sanctuary, Ballia, Uttar Pradesh

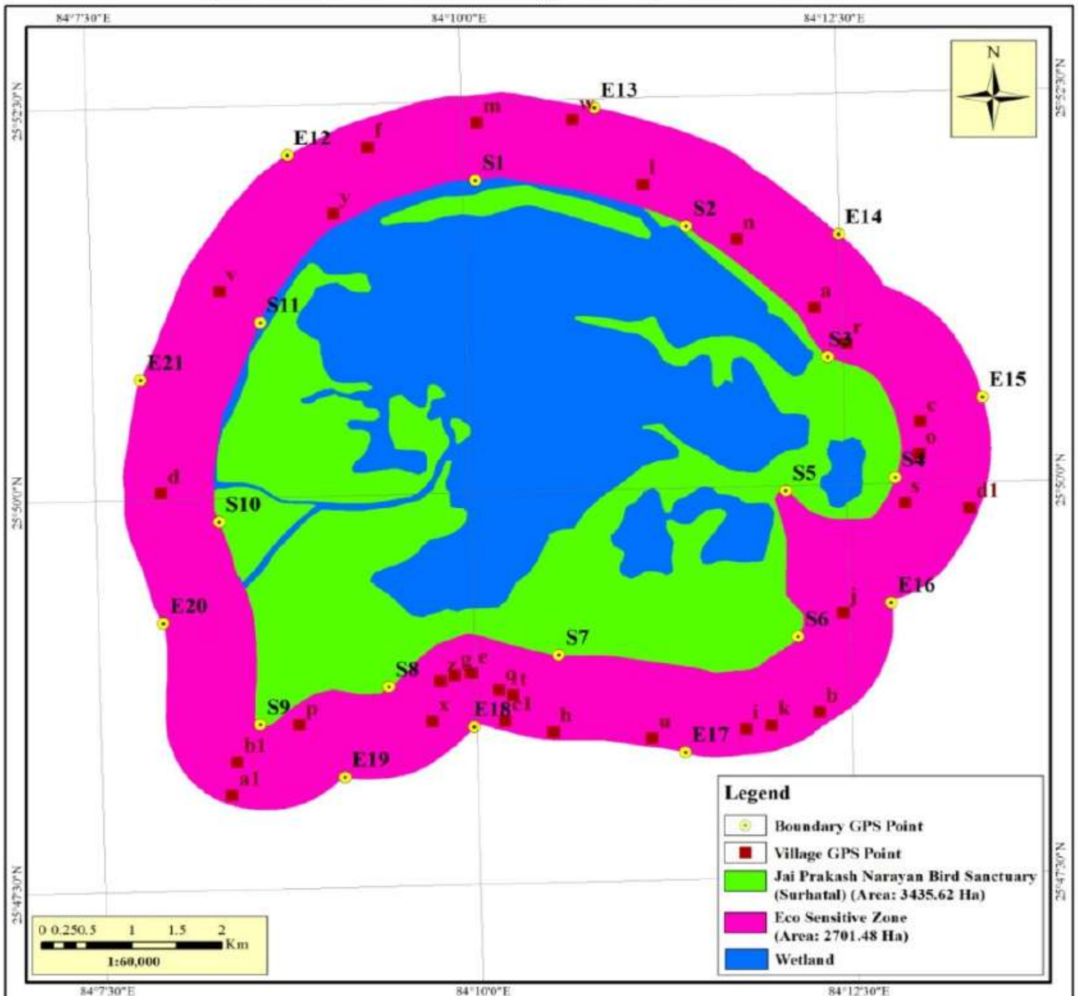

GPS Point Code	Latitude	Longitude	GPS Point Code	Latitude	Longitude	GPS Point Code	Latitude	Longitude	GPS Point Code	Latitude	Longitude
S1	25° 51' 59.589" N	84° 10' 4.598" E	S7	25° 48' 57.066" N	84° 10' 33.107" E	E12	25° 52' 10.8	84° 8' 49.66	E17	25° 48' 18.7	84° 11' 22.596" E
S2	25° 51' 40.396" N	84° 11' 28.327" E	S8	25° 48' 46.350" N	84° 9' 24.942" E	E13	25° 52' 26.4	84° 10' 52.8	E18	25° 48' 30.2	84° 9' 58.533" E
S3	25° 50' 49.047" N	84° 12' 23.646" E	S9	25° 48' 33.002" N	84° 8' 33.181" E	E14	25° 51' 35.9	84° 12' 29.1	E19	25° 48' 12.0	84° 9' 6.579" E
S4	25° 50' 2.175" N	84° 12' 49.223" E	S10	25° 49' 51.016" N	84° 8' 18.892" E	E15	25° 50' 32.2	84° 13' 24.9	E20	25° 49' 12.5	84° 7' 55.474" E
S5	25° 49' 58.023" N	84° 12' 5.460" E	S11	25° 51' 6.926" N	84° 8' 37.232" E	E16	25° 49' 14.2	84° 12' 46.3	E21	25° 50' 45.9	84° 7' 48.859" E
S6	25° 49' 2.094" N	84° 12' 8.891" E									

Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude	Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude	Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude
a	Ankantpur	25° 51' 7.920" N	84° 12' 18.720" E	k	Ghagharauli	25° 48' 28.260" N	84° 11' 57.419" E	u	Sarayan	25° 48' 24.300" N	84° 11' 9.539" E
b	Babhanauli	25° 48' 32.879" N	84° 12' 16.560" E	l	Jajiyapur	25° 51' 56.581" N	84° 11' 11.519" E	v	Shivpur	25° 51' 19.199" N	84° 8' 21.300" E
c	Badari	25° 50' 23.399" N	84° 12' 59.879" E	m	Kaithwali	25° 52' 21.601" N	84° 10' 5.639" E	w	Sidhauli	25° 52' 22.019" N	84° 10' 44.040" E
d	Basantpur	25° 50' 2.339" N	84° 7' 55.859" E	n	Maritar	25° 51' 34.740" N	84° 11' 48.300" E	x	Sripur	25° 48' 32.699" N	84° 9' 41.821" E
e	Bhimpur	25° 48' 50.760" N	84° 9' 58.079" E	o	Narayanpur	25° 50' 11.101" N	84° 12' 59.220" E	y	Surypura	25° 51' 48.060" N	84° 9' 7.441" E
f	Delhuaa	25° 52' 13.080" N	84° 9' 21.899" E	p	Ojhawaliya	25° 48' 32.400" N	84° 8' 48.721" E	z	Vasdevpur	25° 48' 48.060" N	84° 9' 45.659" E
g	Dhyinpur	25° 48' 50.040" N	84° 9' 51.239" E	q	Paraspur	25° 48' 44.100" N	84° 10' 8.760" E	a1	Hanumanganj	25° 48' 5.996" N	84° 8' 21.253" E
h	Dubauli	25° 48' 27.479" N	84° 10' 30.241" E	r	Rajpur	25° 50' 53.880" N	84° 12' 31.140" E	b1	Barhmain	25° 48' 18.666" N	84° 8' 23.485" E
i	Dumari	25° 48' 27.061" N	84° 11' 47.101" E	s	Sahodih	25° 49' 52.259" N	84° 12' 53.639" E	c1	Paraspur	25° 48' 32.182" N	84° 10' 11.116" E
j	Fulwaria	25° 49' 10.801" N	84° 12' 27.180" E	t	Salempur	25° 48' 42.001" N	84° 10' 14.340" E	d1	Jainhpath	25° 49' 49.924" N	84° 13' 18.574" E

ANNEXURE- IID

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE AND LAND USE PATTERN

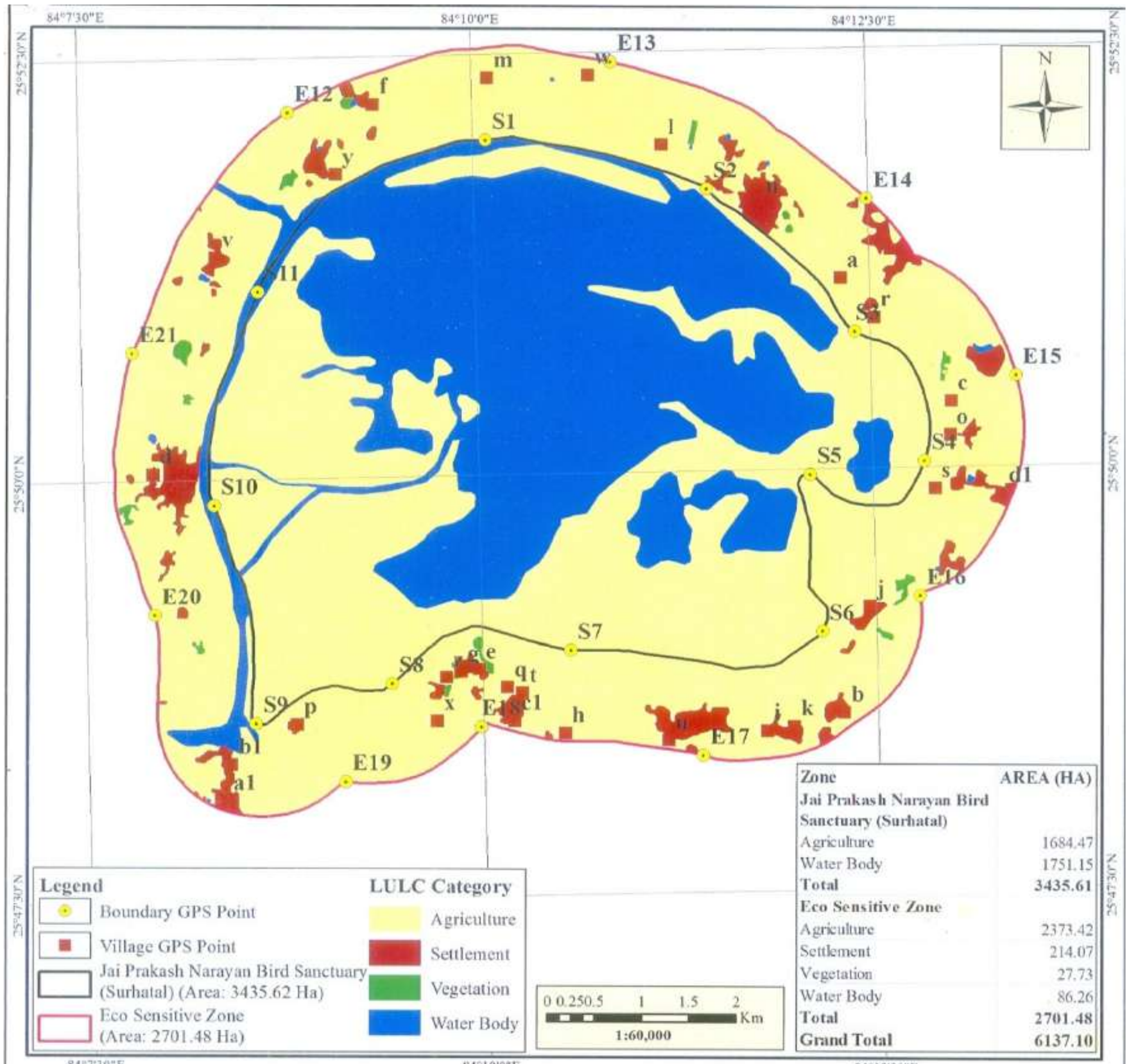

GPS Point Code	Latitude	Longitude	GPS Point Code	Latitude	Longitude	GPS Point Code	Latitude	Longitude	GPS Point Code	Latitude	Longitude
S1	25° 51' 59.589" N	84° 10' 4.598" E	S7	25° 48' 57.066" N	84° 10' 33.107" E	E12	25° 52' 10.8	84° 8' 49.66	E17	25° 48' 18.7	84° 11' 22.596" E
S2	25° 51' 40.396" N	84° 11' 28.327" E	S8	25° 48' 46.350" N	84° 9' 24.942" E	E13	25° 52' 26.4	84° 10' 52.8	E18	25° 48' 30.2	84° 9' 58.533" E
S3	25° 50' 49.047" N	84° 12' 23.646" E	S9	25° 48' 33.002" N	84° 8' 33.181" E	E14	25° 51' 35.9	84° 12' 29.1	E19	25° 48' 12.0	84° 9' 6.579" E
S4	25° 50' 2.175" N	84° 12' 49.223" E	S10	25° 49' 51.016" N	84° 8' 18.892" E	E15	25° 50' 32.2	84° 13' 24.9	E20	25° 49' 12.5	84° 7' 55.474" E
S5	25° 49' 58.023" N	84° 12' 5.460" E	S11	25° 51' 6.926" N	84° 8' 37.232" E	E16	25° 49' 14.2	84° 12' 46.3	E21	25° 50' 45.9	84° 7' 48.859" E
S6	25° 49' 2.094" N	84° 12' 8.891" E									

Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude	Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude	Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude
a	Ankantpur	25° 51' 7.920" N	84° 12' 18.720" E	k	Ghagharauli	25° 48' 28.260" N	84° 11' 57.419" E	u	Sarayan	25° 48' 24.300" N	84° 11' 9.539" E
b	Babhanauli	25° 48' 32.879" N	84° 12' 16.560" E	l	Jajiyapur	25° 51' 56.581" N	84° 11' 11.519" E	v	Shivpur	25° 51' 19.199" N	84° 8' 21.300" E
c	Badari	25° 50' 23.399" N	84° 12' 59.879" E	m	Kaithwali	25° 52' 21.601" N	84° 10' 5.639" E	w	Sidhauli	25° 52' 22.019" N	84° 10' 44.040" E
d	Basantpur	25° 50' 2.339" N	84° 7' 55.859" E	n	Maritar	25° 51' 34.740" N	84° 11' 48.300" E	x	Sripur	25° 48' 32.699" N	84° 9' 41.821" E
e	Bhimpur	25° 48' 50.760" N	84° 9' 58.079" E	o	Narayanpur	25° 50' 11.101" N	84° 12' 59.220" E	y	Surypura	25° 51' 48.060" N	84° 9' 7.441" E
f	Delhuaa	25° 52' 13.080" N	84° 9' 21.899" E	p	Ojhawaliya	25° 48' 32.400" N	84° 8' 48.721" E	z	Vasdevpur	25° 48' 48.060" N	84° 9' 45.659" E
g	Dhyinpur	25° 48' 50.040" N	84° 9' 51.239" E	q	Paraspur	25° 48' 44.100" N	84° 10' 8.760" E	a1	Hanumanganj	25° 48' 5.996" N	84° 8' 21.253" E
h	Dubauli	25° 48' 27.479" N	84° 10' 30.241" E	r	Rajpur	25° 50' 53.880" N	84° 12' 31.140" E	b1	Barhmain	25° 48' 18.666" N	84° 8' 23.485" E
i	Dumari	25° 48' 27.061" N	84° 11' 47.101" E	s	Sahodih	25° 49' 52.259" N	84° 12' 53.039" E	c1	Paraspur	25° 48' 32.182" N	84° 10' 11.116" E
j	Fulwaria	25° 49' 10.801" N	84° 12' 27.180" E	t	Salempur	25° 48' 42.001" N	84° 10' 14.340" E	d1	Jainhpath	25° 49' 49.924" N	84° 13' 18.574" E

ANNEXURE-III

A:GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS ALONG THE BOUNDARY OF THE PROTECTED AREA SHOWN ON MAP

GPS Coordinates of Jai Prakash Narayan (Surhatal) Bird Sanctuary		
GPS Point Code	**Latitude**	**Longitude**
S1	25°51’59.589” N	84°10’5.598” E
S2	25°51’40.396” N	84°11’28.327” E
S3	25°50’49.047” N	84°12’23.646” E
S4	25°50’2.175” N	84°12’49.223” E
S5	25°49’58.023” N	84°12’5.460” E
S6	25°49’2.094” N	84°12’8.891” E
S7	25°4857.066” N	84°10’33.107” E
S8	25°48’46.350” N	84°9’24.942” E
S9	25°48’33.002” N	84°8’33.181” E
S10	25°49’51.016” N	84°8’18.892” E
S11	25°51’6.926” N	84°8’37.232” E

B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS ALONG THE BOUNDARY OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA SHOWN ON MAP

GPS Coordinates of Eco Sensitive Zone		
GPS Point Code	**Latitude**	**Longitude**
E12	25°52’10.825” N	84°8’49.668” E
E13	25°52’26.457” N	84°10’52.806” E
E14	25°51’35.902” N	84°12’29.113” E
E15	25°50’32.274” N	84°13’24.917” E
E16	25°49’14.272” N	84°12’46.370” E
E17	25°48’18.767” N	84°11’22.596” E
E18	25°48’30.299” N	84°9’58.533” E
E19	25°48’12.062” N	84°9’6.579” E
E20	25°49’12.521” N	84°7’55.474” E
E21	25°50’45.905” N	84°7’48.859” E

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES FALLING WITHIN THE ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH GEO-COORDINATES

Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude
a.	Ankantpur	25° 51' 7.920" N	84° 12' 18.720" E
b.	Babhanauli	25° 48' 32.879" N	84° 12' 16.560" E
c.	Badari	25° 50' 23.399" N	84° 12' 59.879" E
d.	Basantpur	25°50' 2.339" N	84° 7' 55.859" E
e.	Bhimpur	25° 48' 50.760" N	84° 9' 58.079" E
f.	Delhuaa	25° 52' 13.080" N	84° 9' 21.899" E
g.	Dhyinpur	25° 48' 50.040" N	84° 9' 51.239" E
h.	Dubauli	25° 48' 27.479" N	84° 10' 30.241" E
i.	Dumari	25° 48' 27.061" N	84° 11' 47.101" E
j.	Fulwaria	25° 49' 10.801" N	84° 12' 27.180" E
k.	Ghagharauli	25° 48' 28.260" N	84° 11' 57.419" E
l.	Jajiyapur	25° 51' 56.581" N	84° 11' 11.519" E
m.	Kaithwali	25° 52' 21.601" N	84° 10' 5.639" E
n.	Maritar	25° 51' 34.740" N	84° 11' 48.300" E
o.	Narayanpur	25° 50' 11.101" N	84° 12' 59.220" E
p.	Ojhawaliya	25° 48' 32.400" N	84° 8' 48.721" E
q.	Paraspur	25° 48' 44.100" N	84° 10' 8.760" E
r.	Rajpur	25° 50' 53.880" N	84° 12' 31.140" E
s.	Sahodih	25° 49' 52.259" N	84° 12' 53.039" E
t.	Salempur	25° 48' 42.001" N	84° 10' 14.340" E
u.	Sarayan	25° 48' 24.300" N	84° 11' 9.539" E
v.	Shivpur	25° 51' 19.199" N	84° 8' 21.300" E
w.	Sidhauli	25° 52' 22.019" N	84° 10' 44.040" E
x.	Sripur	25° 48' 32.699" N	84° 9' 41.821" E
y.	Surypura	25° 51' 48.060" N	84° 9' 7.441" E
z.	Vasdevpur	25° 48' 48.060" N	84° 9' 45.659" E
a1	Hanumanganj	25° 48' 5.996" N	84° 8' 21.253" E
b1	Barhmain	25° 48' 18.666" N	84° 8' 23.485" E
c1	Paraspur	25° 48' 32.182" N	84° 10' 11.116" E
d1	Jainhpath	25° 49' 49.924" N	84° 13' 18.574" E

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure)
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.03.14 19:56:31 +05'30'

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 सं0–88/2024, ओ0ए0 सं0–651/2023 कृष्णा नन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 के तत्क्रम में जनपद बलिया में तहसील–बांसडीह, के अन्तर्गत आने वाले ग्राम–बड़सरी में स्थित जय प्रकाश नारायण (सुरहा ताल) पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश की संवेदनशील जोन में स्थित मेसर्स एस0के0 ईंट भट्ठा, बडसरी, बांसडीह, बलिया की अख्या–

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 सं0–88/2024, ओ0ए0 सं0–651/2023 कृष्णा नन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 के तत्क्रम में जनपद बलिया में तहसील–बांसडीह, के अन्तर्गत आने वाले ग्राम–बड़सरी में स्थित जय प्रकाश नारायण (सुरहा ताल) पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश की संवेदनशील जोन में स्थित मेसर्स एस0के0 ईंट भट्ठा, बडसरी, बांसडीह, बलिया की अख्या निम्नवत् है–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे का स्थापना वर्ष 2013 है।
2. ईंट भट्ठे को पत्र सं0–126/एन0ओ0सी0 दिनांक 23.05.2013 के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत है।
3. ईंट भट्ठे का निरीक्षण प्रथम बार 25.06.2014 को किया गया तथा पत्र सं0–265/सह0/314/2014–15 दिनांक 30.06.2014 के माध्यम से 31.12.2015 तक जल/वायु सहमति निर्गत की गयी थी।
4. ईंट भट्ठे का द्वितीय बार पत्र सं0–779/सह0–314/2016–17 दिनांक 05.10.2016 के माध्यम से दिनांक 31.12.2016 तक निर्गत की गयी थी।
5. ईंट भट्ठे द्वारा दिनांक 30.03.2021 में कार्यालय में जल/वायु सहमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रषित किया गया, वांछित सूचनाओं के आभाव में इस कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 11.05.2021 को निरस्त कर दिया गया।
6. ईंट भट्ठे को वैध जल/वायु सहमति न होने के कारण मुख्यालय के पत्र सं0–एच 63450/सी–6/सा0–632/ईंट भट्ठा/बन्दी आदेश/बलिया/2021 दिनांक 15.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश निर्गत था।
7. दिनांक 01.05.2022 को ईंट भट्ठे द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन के तत्क्रम में इस कार्यालय द्वारा ईंट भट्ठे के निक्षेपण के सम्बन्ध में दिनांक 21.05.2022 को मुख्यालय आख्या प्रेषित की गयी।
8. बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0–एच. 76285/सी–6/ईंट भट्ठा/320/निक्षेप/आजमगढ़/ 2022 दिनांक 27.05.2022 के माध्यम से निक्षेप किया गया।
9. ईंट भट्ठे द्वारा जल/वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय में दिनांक 25.05.2022 को आवेदन पत्र प्रेषित किया गया। दिनांक 25.05.2022 को ईंट भट्ठे का निरीक्षण किया गया तथा राज्य बोर्ड के पत्र सं0–157361/UPPCB/Azamgarh(UPPCBRO) CTO/both/BALLIA/2022 दिनांक 02.06.2022 के माध्यम से दिनांक 31.07.2025 तक जल/वायु सहमति निर्गत है।
10. दिनांक 21.07.2023 को ईंट भट्ठे का निरीक्षण किया गया ईंट भट्ठा संचालित नहीं था। ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 04.03.2024 को किया गया। ईंट भट्ठा संचालित पाया गया।
11. ईंट भट्ठे का निरीक्षण 03.02.2025 को किया गया ईंट भट्ठा संचालित नहीं था।
12. ईंट भट्ठा जय प्रकाश नारायण (सुरहा ताल) पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चारों ओर संवेदनशील जोन जो कि भारत सरकार के राज्य पत्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 08 मार्च 2019 के पूर्व स्थापित है।

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्वाही हेतु सादर प्रेषित है।

11/02/2025
(नवीन कुमार)
प्रयोगशाला सहायक

11/2/2025
(ओ0एच0 सिद्दीकी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

AK
11/2/25

CED(C-6)

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 सं0–88/2024, ओ0ए0 सं0–651/2023 कृष्णा नन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 के तत्क्रम में जनपद बलिया में तहसील–बांसडीह, के अन्तर्गत आने वाले ग्राम–बड़सरी में स्थित जय प्रकाश नारायण (सुरहा ताल) पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश की संवेदनशील जोन में स्थित मेसर्स एस0पी0 एण्ड सन्स ईंट भट्ठा, बडसरी, बांसडीह, बलिया की अख्या–

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 सं0–88/2024, ओ0ए0 सं0–651/2023 कृष्णा नन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 के तत्क्रम में जनपद बलिया में तहसील–बांसडीह, के अन्तर्गत आने वाले ग्राम–बड़सरी में स्थित जय प्रकाश नारायण (सुरहा ताल) पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश की संवेदनशील जोन में स्थित मेसर्स एस0पी0 एण्ड सन्स ईट भट्ठा, बडसरी, बांसडीह, बलिया की अख्या निम्नवत् है–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे का स्थापना वर्ष 2001 है।
2. ईंट भट्ठे का निरीक्षण प्रथम बार 02.03.2001 को किया गया।
3. ईट भट्ठे को पत्र सं0–2085/एन0ओ0सी0/अमर ईट भट्ठा दिनांक 21.03.2001 के माध्यम मेसर्स अमर ईट भट्ठे के नाम से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत है।
4. ईट भट्ठे द्वारा दिनांक 17.03.2017 के माध्यम से जल/वायु सहमति प्राप्त करने हेतु मे0 एस0पी0 एण्ड सन्स ईट भट्ठा के नाम से आवेदन पत्र प्रेषित किया गया था। इस कार्यालय द्वारा पत्र सं0–1272/सह0–427/2016–17 दिनांक 30.03.2017 के माध्यम से वांछित सूचनाओं के आभाव में निरस्त कर दिया गया।
5. पुनः ईंट भट्ठे द्वारा दिनांक 29.01.2021 को जल/वायु सहमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रेषित किया गया। इस कार्यालय द्वारा दिनांक 18.11.2021 को वांछित सूचानाओं के आभाव में निरस्त कर दिया गया।
6. ईंट भट्ठे द्वारा 21.12.2021 को जल/वायु सहमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रेषित किया गया। राज्य बोर्ड के पत्र सं0–145630/UPPCB/Azamgarh(UPPCBRO)CTO/water/BALLIA/2021 दिनांक 30.12.2021 के माध्यम से जल सहमति एवं पत्र सं0–145628/UPPCB/Azamgarh (UPPCBRO)CTO/air/BALLIA/2021 दिनांक 30.12.2021 के माध्यम से वायु सहमति दिनांक 31. 07.2025 तक निर्गत है।
7. ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 21.07.2023 को किया गया, निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित नहीं था। पुनः निरीक्षण दिनांक 04.03.2024 के समय ईंट भट्ठा संचालित था।
8. ईट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 03.02.2025 को किया गया ईंट भट्ठा संचालित पाया गया।
9. भट्ठा जय प्रकाश नारायण (सुरहा ताल) पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चारों ओर संवेदनशील जोन जो कि भारत सरकार के राज्य पत्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 08 मार्च 2019 के पूर्व स्थापित है।

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्वाही हेतु सादर प्रेषित है।

11/02/2025 — 11/2/2025

(नवीन कुमार)
प्रयोगशाला सहायक

(ओ0एच0 सिद्दीकी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

AK
11/2/25

CEO (C-6)

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 सं0–88/2024, ओ0ए0 सं0–651/2023 कृष्णा नन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 के तत्क्रम में जनपद बलिया में तहसील–बांसडीह, के अन्तर्गत आने वाले ग्राम–बड़सरी में स्थित जय प्रकाश नारायण (सुरहा ताल) पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश की संवेदनशील जोन में स्थित मेसर्स जी0एम0 ग्रामोद्योग, अजीयापुर, मैरीटाड़, बांसडीह, बलिया की अख्या–

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 सं0–88/2024, ओ0ए0 सं0–651/2023 कृष्णा नन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 के तत्क्रम में जनपद बलिया में तहसील–बांसडीह, के अन्तर्गत आने वाले ग्राम–बड़सरी में स्थित जय प्रकाश नारायण (सुरहा ताल) पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश की संवेदनशील जोन में स्थित मेसर्स जी0एम0 ग्रामोद्योग, अजीयापुर, मैरीटाड़, बांसडीह, बलिया की अख्या निम्नवत् है–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे का स्थापना वर्ष 2007 है।
2. ईंट भट्ठे द्वारा वायु सहमति प्राप्त करने हेतु दिनांक 06.01.2009 को इस कार्यालय में आवेदन किया गया था। कार्यालय के पत्र सं0–1170/सी–233/2009 दिनांक 30.01.2009 के माध्यम से वांछिंत सूचनाओं के आभाव में निरस्त कर दिया गया था।
3. ईंट भट्ठे द्वारा पुनः दिनांक 19.03.2010 को जल/वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय में आवेदन किया गया ।
4. प्रथम बार ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 09.04.2010 को किया गया तथा इस कार्यालय के पत्र सं0–108/सह0–233/2010–11 दिनांक 03.05.2010 के माध्यम से दिनांक 31.012.2014 तक जल सहमति तथा पत्र सं0–109/सह0–233/2010–11 दिनांक 03.05.2010 के माध्यम से दिनांक 31.012.2014 वायु सहमति निर्गत की गयी है।
5. दिनांक 27.01.2015 को ईंट भट्ठे द्वारा इस कार्यालय में जल/वायु सहमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रषित किया गया। कार्यालय द्वारा वांछित सूचनाओं के ना होने के कारण 27.02.2015 को जल/वायु सहमति आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया।
6. ईंट भट्ठे द्वारा पुनः पत्र सं0–773/सह0–233/2016–17 दिनांक 04.10.2016 के माध्यम से जल/वायु सहमति दिनांक 31.12.2020 तक निर्गत है।
7. ईंट भट्ठे को वैध सहमति न होने के कारण पत्र सं0–एच 63450/सी–6/सा0–632/ईंट भट्ठा/बन्दी आदेश/बलिया/2021 दिनांक 15.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश निर्गत था।
8. ईंट भट्ठे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.07.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा बन्द पाया गया।
9. दिनांक 23.09.2023 को ईंट भट्ठे द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन के तत्क्रम में इस कार्यालय द्वारा ईंट भट्ठे के निक्षेपण के सम्बन्ध में दिनांक 06.10.2023 को मुख्यालय आख्या प्रेषित की गयी।
10. बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0–एच. 02605/सी–6/ईंट भट्ठा/363/बन्दी आदेश निक्षेप/आजमगढ़/2023 दिनांक 02.11.2023 के माध्यम से निक्षेप किया गया।
11. ईंट भट्ठे द्वारा जल/वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय में दिनांक 07.11.2023 को आवेदन पत्र प्रेषित किया गया। राज्य बोर्ड के पत्र सं0–196230/UPPCB/Azamgarh(UPPCBRO) CTO/both/BALLIA/2023 दिनांक 10.11.2023 के माध्यम से दिनांक 31.07.2028 तक जल/वायु सहमति निर्गत है।
12. दिनांक 04.03.2024 को ईंट भट्ठे का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित था।
13. दिनांक 03.02.2025 को ईंट भट्ठे का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा बन्द पाया गया।
14. ईंट भट्ठा जय प्रकाश नारायण (सुरहा ताल) पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चारों ओर संवेदनशील जोन जो कि भारत सरकार के राज्य पत्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 08 मार्च 2019 के पूर्व स्थापित है।

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

11/02/2025
(नवीन कुमार)
प्रयोगशाला सहायक

11/2/2025
(ओ0एच0 सिद्दीकी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

AK
11/2/25

CEO (C-6)

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 सं0–88/2024, ओ0ए0 सं0–651/2023 कृष्णा नन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 के तत्क्रम में जनपद बलिया में तहसील–बांसडीह, के अन्तर्गत आने वाले ग्राम–बड़सरी में स्थित जय प्रकाश नारायण (सुरहा ताल) पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश की संवेदनशील जोन में स्थित मेसर्स सर्वजीत ईंट भट्ठा, बडसरी, बांसडीह, बलिया की अख्या–

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 सं0–88/2024, ओ0ए0 सं0–651/2023 कृष्णा नन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 के तत्क्रम में जनपद बलिया में तहसील–बांसडीह, के अन्तर्गत आने वाले ग्राम–बड़सरी में स्थित जय प्रकाश नारायण (सुरहा ताल) पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश की संवेदनशील जोन में स्थित मेसर्स सर्वजीत ईंट भट्ठा, बडसरी, बांसडीह, बलिया की अख्या निम्नवत् है–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे का स्थापना वर्ष 2001 है।
2. ईंट भट्ठे का निरीक्षण प्रथम बार 27.09.2001 को किया गया। ईंट भट्ठे को पत्र सं0–1656/एन0ओ0सी0/सर्वजीत ईंट भट्ठा/2001 दिनांक 01.10.2001 के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत है।
3. ईंट भट्ठे द्वारा दिनांक 16.09.2002 को वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रेषित किया गया। इस कार्यालय द्वारा पत्र सं0–840/सहमति/वायु प्रदूषण/02 दिनांक 16.09.2002 के माध्यम से दिनांक 31.12.2004 तक वायु सहमति निर्गत की गयी थी।
4. ईंट भट्ठे द्वारा दिनांक 23.01.2006 को वायु सहमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्रेषित किया गया। इस कार्यालय द्वारा दिनांक 20.01.2006 को ईंट भट्ठे का निरीक्षण किया गया तथा इस कार्यालय के पत्र सं0–1298/सहमति वायु/ई0बी0–655/200 दिनांक 03.02.2006 के माध्यम से दिनांक 31.12.2010 तक वायु सहमति निर्गत की गयी थी।
5. ईंट भट्ठे द्वारा दिनांक 30.03.2010 के माध्यम से जल/वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रेषित किया गया। इस कार्यालय के पत्र सं0–73/सह0–192/2010–11 दिनांक 01.05.2010 के माध्यम से जल सहमति तथा पत्र सं0–74/सह0–192/2010–11 दिनांक 01.05.2010 के माध्यम से वायु सहमति दिनांक 31.12.2014 तक निर्गत की गयी है।
6. ईंट भट्ठे द्वारा दिनांक 19.01.2015 को जल/वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रेषित किया गया। इस कार्यालय द्वारा सूचनाओं के आभाव में दिनांक 16.02.2015 को जल/वायु सहमति आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया।
7. इस कार्यालय के पत्र सं0–271/सह0–172/2016–17 दिनांक 10.06.2016 के माध्यम से जल/वायु सहमति दिनांक 31.12.2020 तक निर्गत की गयी है।
8. ईंट भट्ठे द्वारा दिनांक 28.01.2021 को जल/वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रेषित किया। इस कार्यालय के पत्र सं0–120060/UPPCB/Azamgarh(UPPCBRO)/ CTO/air/BALLIA/2021 दिनांक 11.02.2021 के माध्यम से वायु सहमति तथा पत्र सं0–120061/UPPCB/Azamgarh(UPPCBRO)/ CTO/water/BALLIA/2021 दिनांक 11.02.2021 के माध्यम से जल सहमति दिनांक 31.07.2025 तक निर्गत है।
9. ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 21.07.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित नहीं था।
10. ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 04.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित था।
11. ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 03.02.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित पाया गया।
12. ईंट भट्ठा जय प्रकाश नारायण (सुरहा ताल) पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चारों ओर संवेदनशील जोन जो कि भारत सरकार के राज्य पत्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 08 मार्च 2019 के पूर्व स्थापित है।

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्वाही हेतु सादर प्रेषित है।

11/02/2025
(नवीन कुमार)
प्रयोगशाला सहायक

11/02/2025
(ओ0एच0 सिद्दीकी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

11/2/25

CEO(C-6)

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 सं0–88/2024, ओ0ए0 सं0–651/2023 कृष्णा नन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 के तत्क्रम में जनपद बलिया में तहसील–बांसडीह, के अन्तर्गत आने वाले ग्राम–बड़सरी में स्थित जय प्रकाश नारायण (सुरहा ताल) पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश की संवेदनशील जोन में स्थित मेसर्स विशाल ईंट उद्योग, सिधौली, कैथौली, बांसडीह, बलिया की अख्या–

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 सं0–88/2024, ओ0ए0 सं0–651/2023 कृष्णा नन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 के तत्क्रम में जनपद बलिया में तहसील–बांसडीह, के अन्तर्गत आने वाले ग्राम–बड़सरी में स्थित जय प्रकाश नारायण (सुरहा ताल) पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश की संवेदनशील जोन में स्थित मेसर्स विशाल ईंट उद्योग, सिधौली, कैथौली, बांसडीह, बलिया की अख्या निम्नवत् है–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे का स्थापना वर्ष 2009 है।
2. ईंट भट्ठे द्वारा दिनांक 27.09.2014 को जल/वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रेषित किया गया। कार्यालय के पत्र सं0–561/सह0–366/2014–15 दिनांक 09.10.2014 के माध्यम से ईंट भट्ठा संचालन हेतु पत्र निर्गत किया गया था।
3. ईंट भट्ठे को इस कार्यालय के पत्र सं0–581/सह0–366/2016–17 दिनांक 06.09.2016 के माध्यम से जल/वायु सहमति दिनांक 31.12.2019 तक निर्गत की गयी थी।
4. ईंट भट्ठे को वैध जल/वायु सहमति न होने के कारण मुख्यालय के पत्र सं0–एच 63450/सी–6/सा0–632/ईंट भट्ठा/बन्दी आदेश/बलिया/2021 दिनांक 15.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश निर्गत था।
5. ईंट भट्ठे द्वारा दिनांक 29.08.2022 को जल/वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रेषित किया गया था। ईंट भट्ठे के विरुद्ध बन्दी आदेश दिनांक 15.07.2021 प्रभावी होने के कारण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया।
6. ईंट भट्ठे द्वारा बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 08.04.2022 तथा मुख्यालय के पत्र दिनांक 08.04.2022 के माध्यम से मांगी गयी आख्या के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 31.08.2022 तथा दिनांक 20.09.2022 को आख्याएं बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी। बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0–एच. 82255/वृत्त–6/ईंट भट्ठा/344/2022/बन्दी आदेश निक्षेपण/आजमगढ़/2022 दिनांक 23.09. 2022 के माध्यम से निक्षेपित किया गया।
7. ईंट भट्ठे द्वारा प्रेषित जल/वायु सहमति आवेदन पत्र दिनांक 11.11.2022 को प्रेषित किया गया तथा इस कार्यालय द्वारा पत्र सं0–168659/UPPCB/Azamgarh(UPPCBRO)/CTO/both/BALLIA/2022 दिनांक 15.11.2022 के माध्यम से दिनांक 31.07.2026 तक जल/वायु सहमति निर्गत की गयी है।
8. ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 21.07.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित नहीं पाया गया।
9. ईट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 04.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित था।
10. ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 03.02.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित पाया गया।
11. ईट भट्ठा जय प्रकाश नारायण (सुरहा ताल) पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चारों ओर संवेदनशील जोन जो कि भारत सरकार के राज्य पत्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 08 मार्च 2019 के पूर्व स्थापित है।

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

11/02/2025
(नवीन कुमार)
प्रयोगशाला सहायक

11/2/2025
(ओ0एच0 सिद्दीकी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

11/2/25

CEE(C-6)

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 सं0–88/2024, ओ0ए0 सं0–651/2023 कृष्णा नन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 के तत्क्रम में जनपद बलिया में तहसील–बांसडीह, के अन्तर्गत आने वाले ग्राम–बड़सरी में स्थित जय प्रकाश नारायण (सुरहा ताल) पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश की संवेदनशील जोन के ईंट भट्ठे मेसर्स यू0एस0 इण्टरप्राइजेज, बडसरी, बांसडीह, बलिया की अख्या–

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 सं0–88/2024, ओ0ए0 सं0–651/2023 कृष्णा नन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 के तत्क्रम में जनपद बलिया में तहसील–बांसडीह, के अन्तर्गत आने वाले ग्राम–बड़सरी में स्थित जय प्रकाश नारायण (सुरहा ताल) पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश की संवेदनशील जोन में स्थित मेसर्स यू0एस0 इण्टरप्राइजेज, बडसरी, बांसडीह, बलिया की अख्या निम्नवत् है–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे का स्थापना वर्ष 2011 है।
2. ईंट भट्ठे द्वारा दिनांक 22.10.2011 को जल/वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रेषित किया गया। पुनः दिनांक 22.01.2015 को जल/वायु सहमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रेषित किया गया। इस कार्यालय द्वारा दिनांक 27.02.2015 को वांछित सूचनाएं न होने के कारण निरस्त कर दिया गया। इस कार्यालय के पत्र सं0–432/सह0–389/2016–17 दिनांक 29.07.2016 के माध्यम से जल/वायु सहमति दिनांक 31.12.2020 तक निर्गत की गयी।
3. ईंट भट्ठे द्वारा दिनांक 03.02.2021 को जल/वायु सहमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रेषित किया गया। ईंट भट्ठे का स्थल ईंट भट्ठा नियमावली, 2012 के अनुरुप न होने के कारण दिनांक 25.02.2021 को निरस्त कर दिया गया।
4. ईंट भट्ठे का निरीक्षण प्रथम बार दिनांक 16.02.2021 को किया गया। ईट भट्ठा संचालित पाया गया।
5. ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 21.07.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित पाया गया।
6. ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 08.08.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा बन्द पाया गया।
7. ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 04.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित पाया गया। तथा ईंट भट्ठे के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने हेतु दिनांक 06.03.2024 को बोर्ड मुख्यालय संस्तुति की गयी। बोर्ड मुख्यालय द्वारा पत्र सं0–एच. 8710/वृत्त–6/ईंट भट्ठा 376/का0ब0नो0/आजमगढ़/2024 दिनांक 22.03.2024 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस निर्गत की गयी।
8. बोर्ड मुख्यालय द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 22.03.2024 के क्रम में ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 01.04.2024 को किया गया। ईंट भट्ठा संचालित पाया गया तथा कारण बताओ नोटिस दिनांक 22.03.2024 की पुष्टि करते हुए दिनांक 04.04.2024 को बोर्ड मुख्यालय पत्र प्रेषित किया गया।
9. बोर्ड मुख्यालय द्वारा पत्र सं0–एच. 09945/सी–6/ईंट भट्ठा–376/बन्दी आदेश/आजमगढ़/2024 दिनांक 25.04.2024 के माध्यम से बंदी आदेश निर्गत किया गया। बन्दी आदेश दिनांक 25.04.2024 के तत्क्रम में जिला प्रशासन, बलिया के सहयोग से ईंट भट्ठे का संचालन दिनांक 26.04.2024 को बंद करा दिया गया।
10. ईंट भट्ठे के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति के सम्बन्ध में दिनांक 18.01.2025 को बोर्ड मुख्यालय पत्र प्रेषित किया गया। इस सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय द्वारा पत्र दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से कथित समयावधि में ईंट भट्ठा संचालित था की आख्या चाही गयी है। मुख्यालय के पत्र दिनांक 04.03.2025 के अनुक्रम में ईंट भट्ठा संचालन अवधि के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा पत्र दिनांक 11.02.2025 के माध्यम से 1.वाणिज्य कर अधिकारी, बलिया, 2.अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बलिया तथा 3.जिला खनन अधिकारी, खनन अनुभाग, बलिया से आख्या मांगी गयी है, जो आपेक्षित है।
11. दिनांक 03.02.2025 को ईंट भट्ठे का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा बन्द पाया गया।
12. ईंट भट्ठा जय प्रकाश नारायण (सुरहा ताल) पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चारों ओर संवेदनशील जोन जो कि भारत सरकार के राज्य पत्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 08 मार्च 2019 के पूर्व स्थापित है।

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

11/02/2025
(नवीन कुमार)
प्रयोगशाला सहायक

11/2/2025
(ओ0एच0 सिद्दीकी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

AJEET KUMAR SUMAN
Digitally signed by AJEET KUMAR SUMAN
Date: 2025.02.11 17:16:11 +05'30'

CEO (C-6)

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 सं0–88/2024, ओ0ए0 सं0–651/2023 कृष्णा नन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 के तत्क्रम में जनपद बलिया में तहसील–बांसडीह, के अन्तर्गत आने वाले ग्राम–बड़सरी में स्थित जय प्रकाश नारायण (सुरहा ताल) पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश की संवेदनशील जोन में स्थित मेसर्स घनश्याम सिंह ईंट भट्ठा, साहूडीह, बांसडीह, बलिया की अख्या–

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 सं0–88/2024, ओ0ए0 सं0–651/2023 कृष्णा नन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 के तत्क्रम में जनपद बलिया में तहसील–बांसडीह, के अन्तर्गत आने वाले ग्राम–बड़सरी में स्थित जय प्रकाश नारायण (सुरहा ताल) पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश की संवेदनशील जोन में स्थित मेसर्स घनश्याम सिंह ईंट भट्ठा, साहूडीह, बांसडीह, बलिया की अख्या निम्नवत् है–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे का स्थापना वर्ष 2014 है।
2. ईंट भट्ठे का प्रथम बार निरीक्षण दिनांक 22.10.2014 को किया गया। ईंट भट्ठे को इस कार्यालय के पत्र सं0–616/एन0ओ0सी0–3/10/2014–15 दिनांक 30.10.2014 के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
3. ईंट भट्ठे का पुनः निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 13.11.2014 को किया गया। ईंट भट्ठे के स्थल में परिवर्तन होने के कारण दिनांक 21.11.2014 को ईंट भट्ठे को पत्र प्रेषित किया गया।
4. ईंट भट्ठे द्वारा दिनांक जल/वायु सहमति प्राप्त करने हेतु दिनांक 23.02.2021 को इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रेषित किया गया, जिसे स्थल उचित न होने के कारण दिनांक 25.02.2021 को निरस्त कर दिया गया।
5. ईंट भट्ठे को वैध जल/वायु सहमति न होने के कारण मुख्यालय के पत्र सं0–एच 63450/सी–6/सा0–632/ईंट भट्ठा/बन्दी आदेश/बलिया/2021 दिनांक 15.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश निर्गत था।
6. ईंट भट्ठे द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन के तत्क्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 18.02.2021 के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 09.02.2022 के माध्यम से काख्या प्रेषित की गयी।
7. ईंट भट्ठे को निर्गत बन्दी आदेश दिनांक 15.07.2021 के क्रम में जिला प्रशासन, बलिया के सहयोग से ईंट भट्ठे का संचालन दिनांक 01.04.2024 को बन्द करा दिया।
8. ईंट भट्ठे द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन के क्रम में दिनांक 09.02.2022 तथा 27.12.2024 को आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी।
9. ईंट भट्ठे के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति के सम्बन्ध में दिनांक 06.03.2024 तथा 18.01.2025 को बोर्ड मुख्यालय पत्र प्रेषित किया गया। इस सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय द्वारा पत्र दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से कथित समयावधि में ईंट भट्ठा संचालित था की आख्या चाही गयी है। मुख्यालय के पत्र दिनांक 04.03.2025 के अनुक्रम में ईंट भट्ठा संचालन अवधि के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा पत्र दिनांक 11.02.2025 के माध्यम से 1.वाणिज्य कर अधिकारी, बलिया, 2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बलिया तथा 3.जिला खनन अधिकारी, खनन अनुभाग, बलिया से आख्या मांगी गयी है, जो अपेक्षित है।
10. ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 21.10.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित नहीं था।
11. ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 04.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित था।
12. ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 03.02.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्टा संचालित नहीं था।
13. ईंट भट्ठा जय प्रकाश नारायण (सुरहा ताल) पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चारों ओर संवेदनशील जोन जो कि भारत सरकार के राज्य पत्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 08 मार्च 2019 के पूर्व स्थापित है।

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

11/03/2025
(नवीन कुमार)
प्रयोगशाला सहायक

11/3/2025
(ओ0एच0 सिद्दीकी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

AJEET KUMAR SUMAN
Digitally signed by AJEET KUMAR SUMAN
Date: 2025.03.11 17:17:17 +05'30'

CEO (C-6)

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 सं0–88/2024, ओ0ए0 सं0–651/2023 कृष्णा नन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 के तत्क्रम में जनपद बलिया में तहसील–बांसडीह, के अन्तर्गत आने वाले ग्राम–बड़सरी में स्थित जय प्रकाश नारायण (सुरहा ताल) पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश की संवेदनशील जोन में स्थित मेसर्स काशीनाथ यादव ईंट भट्ठा (पूर्व नाम मेसर्स आर0एस0 ईंट भट्ठा), बडसरी, बांसडीह, बलिया की अख्या–

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 सं0–88/2024, ओ0ए0 सं0–651/2023 कृष्णा नन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 के तत्क्रम में जनपद बलिया में तहसील–बांसडीह, के अन्तर्गत आने वाले ग्राम–बड़सरी में स्थित जय प्रकाश नारायण (सुरहा ताल) पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश की संवेदनशील जोन में स्थित मेसर्स काशीनाथ यादव ईंट भट्ठा (पूर्व नाम मेसर्स आर0एस0 ईंट भट्ठा), बडसरी, बांसडीह, बलिया की अख्या निम्नवत् है–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे का स्थापना वर्ष 2021 है।
2. ईंट भट्ठे का प्रथम बार निरीक्षण दिनांक 21.07.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित नहीं था। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे का नाम ईंट भट्ठा प्रतिनिधि द्वारा मेसर्स आर0एस0 ईंट भट्ठा बताया गया।
3. ईंट भट्ठे द्वारा जल/वायु सहमति प्राप्त करने हेतु मेसर्स काशीनाथ यादव ईंट भट्ठा के नाम से दिनांक 20.09.2023 को आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्रेषित किया गया।
4. ईंट भट्ठे द्वारा प्रेषित जल/वायु सहमति आवेदन पत्र इस कार्यालय द्वारा दिनांक 04.10.2023 को निरस्त कर दिया गया।
5. ईंट भट्ठे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 04.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित पाया गया तथा ईंट भट्ठे के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने हेतु दिनांक 06.03.2024 को मुख्यालय पत्र प्रेषित किया गया। तत्क्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 22.03.2024 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
6. बोर्ड मुख्यालय द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 22.03.2024 के अनुक्रम में ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 01.04.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित पाया गया। उक्त के अनुक्रम में ईंट भट्ठे के विरुद्ध जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 04.04.2024 द्वारा आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी।
7. बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.04.2024 के माध्यम से ईंट भट्ठे के विरुद्ध बंदी आदेश जारी किया गया। बंदी आदेश के अनुपालन में जिला प्रशासन, बलिया के सहयोग से दिनांक 26.04.2024 को ईंट भट्ठे का संचालन बंद कराया गया।
8. ईंट भट्ठे के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति के सम्बन्ध में दिनांक 06.03.2024 को बोर्ड मुख्यालय पत्र प्रेषित किया गया। इस सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय द्वारा पत्र दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से कथित समयावधि में ईंट भट्ठा संचालित था की आख्या चाही गयी है। मुख्यालय के पत्र दिनांक 04.03.2025 के अनुक्रम में ईंट भट्ठा संचालन अवधि के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा पत्र दिनांक 11.02.2025 के माध्यम से 1.वाणिज्य कर अधिकारी, बलिया, 2.अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बलिया तथा 3.जिला खनन अधिकारी, खनन अनुभाग, बलिया से आख्या मांगी गयी है, जो अपेक्षित है।
9. ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 21.01.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित नहीं था।
10. ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 03.02.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित पाया गया। उक्त के अनुक्रम में उप जिलाधिकारी, बांसडीह, बलिया को दिनांक 11.02.2025 को पत्र प्रेषित कर बन्दी आदेश का अनुपालन कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।
11. ईंट भट्ठा जय प्रकाश नारायण (सुरहा ताल) पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चारों ओर संवेदनशील जोन जो कि भारत सरकार के राज्य पत्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 08 मार्च 2019 के बाद स्थापित किया गया है।

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्वाही हेतु सादर प्रेषित है।

11/02/2025
(नवीन कुमार)
प्रयोगशाला सहायक

11/02/2025
(ओ0एच0 सिद्दीकी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

AJEET KUMAR SUMAN
Digitally signed by AJEET KUMAR SUMAN
Date: 2025.02.11 17:18:08 +05'30'

CEO (C-6)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 4241183/वृत्त–6/ ईंट भट्ठा–376/का0ब0नो–ई0सी0/बलिया/2024 Date 14-2-25

मेसर्स यू0एस0 इण्टरप्राइजेज, Annexure No.-R2/3

बड़सरी, बांसडीह,

जनपद–बलिया। (मो0–9415865130)

यह कि मेसर्स यू0एस0 इण्टरप्राइजेज, बड़सरी, बांसडीह, जनपद–बलिया जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा। उद्योग में कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी एवं बालू का प्रयोग कर ईंट के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2 (ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0–309/2022 रामभरोसे तोमर बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2024 के माध्यम से आदेश निर्गत करते हुये उक्त ओए निस्तारित की गयी है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"........10. Hence, we dispose of the OA permitting the UPPCB to initiate the action against the above 6521 brick kilns for imposition of environmental compensation for their past illegal operation. The UPPCB will complete the said exercise leading to passing of the final order of imposition of environmental compensation within six months and will submit the 4 action taken report before the Registrar General of this Tribunal on 01.02.2025 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If it is found necessary, the matter will be placed before the Bench for further consideration. ....."

यह कि ईट भट्ठा मेसर्स यू0एस0 इण्टरप्राइजेज, बड़सरी, बांसडीह, जनपद–बलिया के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 25.04.2024 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31 ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया था तथा उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन, बलिया, खनन विभाग, बलिया एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ की संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 26.04.2024 को कराया गया।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 18.01.2025 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार मेसर्स यू0एस0 इण्टरप्राइजेज, बड़सरी, बांसडीह, जनपद–बलिया को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 29.07.2016 के माध्यम से संचालनार्थ सहमति जल/वायु दिनांक 31.12.2020 तक निर्गत की गयी थी।

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.04.1019 के सुसंगत अंश निम्नवत हैंः–

".......9. The UPSPCB may assess the amount of compensation applying the formula laid down by the CPCB not only for the days mentioned in the report of the CPCB but for the actual days of violation from the beginning but not beyond five years from the date of calculation....."

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0–593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.08.2019 के सुसंगत अंश निम्नवत हैंः–

".......1. The issue for consideration is establishment and functioning of ETPs/CETPs/STPs to prevent untreated sewage/effluents being discharged in water bodies, including rivers and canals meeting such rivers or otherwise. The magnitude of the problem is well acknowledged. In the year 1962 GoI set up a Committee for prevention of water pollution. The recommendations led to enactment of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 ("Water Act") in pursuance of Article 252 of the Constitution. The Water Act provides for the constitution of a Central Board and State Boards/Committees. No polluted matter can be discharged into a stream or well or on land, and no industry, operation or process can be established and no out-let for discharge of sewage used without consent of the State Board. The Water Act provides powers to give directions for closing any such activity as well as for prosecution. Power to give directions implicitly includes recovery of compensation on 'Polluter Pays' principle......."

===

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0–309/2022 रामभरोसे तोमर बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2024 के अनुपालन में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़ के पत्र दिनांक 13.02.2025 के माध्यम से ईट भट्ठे द्वारा राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्ठा संचालित किये जाने फलस्वरूप निम्नलिखित उल्लंघन अवधि सूचित की गयी है :–

क्रम सं0	उल्लंघनकारी अवधि (दिनांक)	उल्लंघनकारी दिवस
1	16.02.2021 से 20.07.2023	497
2	04.03.2024 से 25.04.2024	53
	कुल	550

उपरोक्त वर्णित उल्लंघनकारी अवधि 550 दिवस के सापेक्ष ईट भट्ठा मेसर्स यू0एस0 इण्टरप्राइजेज, बड़सरी, बांसडीह, जनपद–बलिया के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है। अवगत कराना है कि मा0 एनजीटी, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइड लाइन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित सूत्र Penalty=PI x N x R x S x LF के अनुसार दैनिक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 6,250/– आती है, जिसमें PI (Pollution Index)=50, N (Number of days)=1, R (Panalty in Rs)=250, S (Factor for Scale of operation, Small)=0.5, LF (Location Factor)= 1 for Population between 1 to 5 million लिया गया है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी, आजमगढ़ की संस्तुति के दृष्टिगत राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये ईट भट्ठे का संचालन किये जाने के फलस्वरूप उल्लंघनकारी अवधि 550 दिवस हेतु रू0 6,250/– प्रतिदिन की दर से आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति यथा रू0 34,37,500/– (रू0 चौतीस लाख सैंतिस हजार पांच सौ मात्र) है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ईट भट्ठे के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न ईट भट्ठा मेसर्स यू0एस0 इण्टरप्राइजेज, बड़सरी, बांसडीह, जनपद–बलिया के विरूद्ध राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बिना ही ईट भट्ठे का संचालन किये जाने के फलस्वरूप रू0 34,37,500/– (रू0 चौतीस लाख सैंतिस हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार ईट भट्ठें के विरूद्ध रू0 34,37,500/– (रू0 चौतीस लाख सैंतिस हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं ईट भट्ठा एवं ईट भट्ठा स्वामी का होगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार एडवर्स मटेरियल।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त–6)

<u>प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–</u>

1. जिलाधिकारी, बलिया।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति ईट भट्ठा स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में ईट भट्ठे का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त–6)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H24/185 /वृत्त–6/ ईंट भट्ठा–374/का0ब0नो–ई0सी0/बलिया/2024 Date 14-2-25

मेसर्स घनश्याम सिंह ईट भट्ठा,
ग्राम व पोस्ट–साहूडीह, बांसडीह,
जनपद–बलिया। (मो0–9450773980)

यह कि मेसर्स घनश्याम सिंह ईट भट्ठा, ग्राम व पोस्ट–साहूडीह, बांसडीह, जनपद–बलिया जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा। उद्योग में कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी एवं बालू का प्रयोग कर ईंट के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2 (ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0–309/2022 रामभरोसे तोमर बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2024 के माध्यम से आदेश निर्गत करते हुये उक्त ओए निस्तारित की गयी है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"........10. Hence, we dispose of the OA permitting the UPPCB to initiate the action against the above 6521 brick kilns for imposition of environmental compensation for their past illegal operation. The UPPCB will complete the said exercise leading to passing of the final order of imposition of environmental compensation within six months and will submit the 4 action taken report before the Registrar General of this Tribunal on 01.02.2025 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If it is found necessary, the matter will be placed before the Bench for further consideration. ....."

यह कि ईट भट्ठा मेसर्स घनश्याम सिंह ईट भट्ठा, ग्राम व पोस्ट–साहूडीह, बांसडीह, जनपद–बलिया के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 15.07.2021 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31 ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया था तथा उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन, बलिया, खनन विभाग, बलिया, जिलापंचायत, बलिया एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ की संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 01.04.2024 को कराया गया।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 18.01.2025 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार मेसर्स घनश्याम सिंह ईट भट्ठा, ग्राम व पोस्ट–साहूडीह, बांसडीह, जनपद–बलिया को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 30.10.2014 के माध्यम से स्थापनार्थ सहमति निर्गत की गयी थी।

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.04.1019 के सुसंगत अंश निम्नवत हैं:–

".......9. The UPSPCB may assess the amount of compensation applying the formula laid down by the CPCB not only for the days mentioned in the report of the CPCB but for the actual days of violation from the beginning but not beyond five years from the date of calculation....."

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0–593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.08.2019 के सुसंगत अंश निम्नवत हैं:–

".......1. The issue for consideration is establishment and functioning of ETPs/CETPs/STPs to prevent untreated sewage/effluents being discharged in water bodies, including rivers and canals meeting such rivers or otherwise. The magnitude of the problem is well acknowledged. In the year 1962 GoI set up a Committee for prevention of water pollution. The recommendations led to enactment of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 ("Water Act") in pursuance of Article 252 of the Constitution. The Water Act provides for the constitution of a Central Board and State Boards/Committees. No polluted matter can be discharged into a stream or well or on land, and no industry, operation or process can be established and no out-let for discharge of sewage used without consent of the State Board. The Water Act provides powers to give directions for closing any such activity as well as for prosecution. Power to give directions implicitly includes recovery of compensation on 'Polluter Pays' principle......."

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

(2)

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0–309/2022 रामभरोसे तोमर बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2024 के अनुपालन में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़ के पत्र दिनांक 13.02.2025 के माध्यम से ईट भट्ठे द्वारा राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्ठा संचालित किये जाने फलस्वरूप निम्नलिखित उल्लंघन अवधि सूचित की गयी है :–

क्रम सं0	उल्लंघनकारी अवधि (दिनांक)	उल्लंधनकारी दिवस
1	04.03.2024 से 01.04.2024	29
	कुल	29

उपरोक्त वर्णित उल्लंघनकारी अवधि 29 दिवस के सापेक्ष ईट भट्ठा मेसर्स घनश्याम सिंह ईट भट्ठा, ग्राम व पोस्ट–साहूडीह, बांसडीह, जनपद–बलिया के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है। अवगत कराना है कि मा0 एनजीटी, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइड लाइन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित सूत्र Penalty=PI x N x R x S x LF के अनुसार दैनिक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 6,250/– आती है, जिसमें PI (Pollution Index)=50, N (Number of days)=1, R (Panalty in Rs)=250, S (Factor for Scale of operation, Small)=0.5, LF (Location Factor)= 1 for Population between 1 to 5 million लिया गया है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी, आजमगढ़ की संस्तुति के दृष्टिगत राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये ईट भट्ठे का संचालन किये जाने के फलस्वरूप उल्लंघनकारी अवधि 29 दिवस हेतु रू0 6,250/– प्रतिदिन की दर से आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति यथा रू0 1,81,250/– (रू0 एक लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास मात्र) है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ईट भट्ठे के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न ईट भट्ठा मेसर्स घनश्याम सिंह ईट भट्ठा, ग्राम व पोस्ट–साहूडीह, बांसडीह, जनपद–बलिया के विरूद्ध राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बिना ही ईट भट्ठे का संचालन किये जाने के फलस्वरूप रू0 1,81,250/– (रू0 एक लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास मात्र)की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार ईट भट्ठें के विरूद्ध रू0 1,81,250/– (रू0 एक लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं ईट भट्ठा एवं ईट भट्ठा स्वामी का होगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार एडवर्स मटेरियल।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त–6)

<u>प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–</u>

1. जिलाधिकारी, बलिया।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति ईट भट्ठा स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में ईट भट्ठे का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त–6)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 424184 /वृत्त–6/ ईंट भट्ठा–375/का0ब0नो–ई0सी0/बलिया/2024 Date 14-2-25

मेसर्स काशीनाथ यादव ईट भट्ठा (पूर्वनाम मेसर्स आर0एस0 ईट भट्ठा),
बड़सरी, बांसडीह,
जनपद–बलिया। (मो0–9450773980)

यह कि मेसर्स काशीनाथ यादव ईट भट्ठा (पूर्वनाम मेसर्स आर0एस0 ईट भट्ठा), बड़सरी, बांसडीह, जनपद–बलिया जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा। उद्योग में कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी एवं बालू का प्रयोग कर ईट के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2 (ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0–309/2022 रामभरोसे तोमर बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2024 के माध्यम से आदेश निर्गत करते हुये उक्त ओए निस्तारित की गयी है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

".........10. Hence, we dispose of the OA permitting the UPPCB to initiate the action against the above 6521 brick kilns for imposition of environmental compensation for their past illegal operation. The UPPCB will complete the said exercise leading to passing of the final order of imposition of environmental compensation within six months and will submit the 4 action taken report before the Registrar General of this Tribunal on 01.02.2025 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If it is found necessary, the matter will be placed before the Bench for further consideration. ....."

यह कि ईट भट्ठा मेसर्स काशीनाथ यादव ईट भट्ठा (पूर्वनाम मेसर्स आर0एस0 ईट भट्ठा), बड़सरी, बांसडीह, जनपद–बलिया के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 25.04.2024 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31 ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया था तथा उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन, बलिया, खनन विभाग, बलिया, जिलापंचायत, बलिया एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ की संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 26.04.2024 को कराया गया।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 18.01.2025 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार मेसर्स काशीनाथ यादव ईट भट्ठा (पूर्वनाम मेसर्स आर0एस0 ईट भट्ठा), बड़सरी, बांसडीह, जनपद–बलिया को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति जल/वायु निर्गत नहीं है।

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.04.1019 के सुसंगत अंश निम्नवत हैं:–

".......9. The UPSPCB may assess the amount of compensation applying the formula laid down by the CPCB not only for the days mentioned in the report of the CPCB but for the actual days of violation from the beginning but not beyond five years from the date of calculation....."

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0–593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.08.2019 के सुसंगत अंश निम्नवत हैं:–

"......1. The issue for consideration is establishment and functioning of ETPs/CETPs/STPs to prevent untreated sewage/effluents being discharged in water bodies, including rivers and canals meeting such rivers or otherwise. The magnitude of the problem is well acknowledged. In the year 1962 GoI set up a Committee for prevention of water pollution. The recommendations led to enactment of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 ("Water Act") in pursuance of Article 252 of the Constitution. The Water Act provides for the constitution of a Central Board and State Boards/Committees. No polluted matter can be discharged into a stream or well or on land, and no industry, operation or process can be established and no out-let for discharge of sewage used without consent of the State Board. The Water Act provides powers to give directions for closing any such activity as well as for prosecution. Power to give directions implicitly includes recovery of compensation on 'Polluter Pays' principle......."

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0–309/2022 रामभरोसे तोमर बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2024 के अनुपालन में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़ के पत्र दिनांक 13.02.2025 के माध्यम से ईट भट्ठे द्वारा राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्ठा संचालित किये जाने फलस्वरूप निम्नलिखित उल्लंघन अवधि सूचित की गयी है :–

क्रम सं0	उल्लंघनकारी अवधि (दिनांक)	उल्लंघनकारी दिवस
1	04.03.2024 से 25.04.2024	53
	कुल	53

उपरोक्त वर्णित उल्लंघनकारी अवधि 53 दिवस के सापेक्ष ईट भट्ठा मेसर्स काशीनाथ यादव ईट भट्ठा (पूर्वनाम मेसर्स आर0एस0 ईट भट्ठा), बड़सरी, बांसडीह, जनपद–बलिया के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है। अवगत कराना है कि मा0 एनजीटी, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइड लाइन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित सूत्र Penalty=PI x N x R x S x LF के अनुसार दैनिक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 6,250/– आती है, जिसमें PI (Pollution Index)=50, N (Number of days)=1, R (Panalty in Rs)=250, S (Factor for Scale of operation, Small)=0.5, LF (Location Factor)= 1 for Population between 1 to 5 million लिया गया है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी, आजमगढ़ की संस्तुति के दृष्टिगत राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये ईट भट्ठे का संचालन किये जाने के फलस्वरूप उल्लंघनकारी अवधि 53 दिवस हेतु रू0 6,250/– प्रतिदिन की दर से आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति यथा रू0 3,31,250/– (रू0 तीन लाख इकत्तीस हजार दो सौ पचास मात्र) है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ईट भट्ठे के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न ईट भट्ठा मेसर्स काशीनाथ यादव ईट भट्ठा (पूर्वनाम मेसर्स आर0एस0 ईट भट्ठा), बड़सरी, बांसडीह, जनपद–बलिया के विरूद्ध राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बिना ही ईट भट्ठे का संचालन किये जाने के फलस्वरूप रू0 3,31,250/– (रू0 तीन लाख इकत्तीस हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार ईट भट्ठें के विरूद्ध रू0 3,31,250/– (रू0 तीन लाख इकत्तीस हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं ईट भट्ठा एवं ईट भट्ठा स्वामी का होगा।

<u>संलग्नक–</u>उपरोक्तानुसार एडवर्स मेटेरियल।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त–6)

<u>प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–</u>

1. जिलाधिकारी, बलिया।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति ईट भट्ठा स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में ईट भट्ठे का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त–6)

मेसर्स काशीनाथ यादव ईंट भट्ठा पूर्व नाम मेसर्स आर.एन. ईंट भट्ठा बड़सरी बांसडीह बलिया की निर्गत बन्दी आदेश 25/4/2024 की अनुपालन आख्या

मुख्यालय के पत्र सं. एच 9946/सी-6/ईंटभट्ठा/375/बन्दी आदेश/आजमगढ़/2024 दिनांक 25/4/2024 के क्रम में आज दिनांक 14/2/2025 को मेसर्स काशीनाथ यादव ईंट भट्ठा (पूर्व नाम मेसर्स आर.एन. ईंटभट्ठा) बड़सरी बांसडीह बलिया के संचालन को निम्न अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति में बन्द कराया गया। ईंट भट्ठा प्रतिनिधि/मालिक को निर्देशित किया गया कि बिना बोर्ड से जल/वायु सहमति प्राप्त किये किसी भी दशा में ईंट भट्ठे का संचालन न करें।

अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	हस्ताक्षर
1- श्री निखिल शुक्ला	तहसीलदार, बांसडीह बलिया	(हस्ताक्षर) 14/02/2025
2. श्री जितेश कुमार	खान निरीक्षक बलिया	(हस्ताक्षर) 14/02/2025
3. ओ०एच० सिद्दीकी	सहायक वैज्ञानिक अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आजमगढ़	(हस्ताक्षर) 14/2/2025
4. सुनील कुमार यादव	कर निरीक्षक जिला पंचायत बलिया	(हस्ताक्षर) 14-2-2025
5. नवीन कुमार	प्रयोगशाला सहायक उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आजमगढ़	(हस्ताक्षर) 14/2/25

मैं काशीनाथ यादव पुत्र रामचन्द्र यादव निवासी बड़सरी थाना बांसडीह जनपद बलिया का निवासी हूँ। मैं अपना काशीनाथ यादव ईंट भट्ठा को उक्त नोटिस के जारी के उपरान्त आज दिनांक 14-02-25 से बन्द कर रहा हूँ।

काशीनाथ यादव 14.02.2025

बन्दी आदेश के पूर्णतः! मेरे द्वारा पालन किया जायगा

काशीनाथ यादव 14.02.25

Scanned with AltaScanner